[श्री रबी राय]

है और संविधान में उनकी देखभाल के लिए व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति जो शिड्यूल्डकास्ट के कमिश्नर हैं, उनको मनोनीत करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन मे बहस होने बाद भी जो शिड्यूलकास्ट के कमिश्नर हैं श्री माने साहब, उन्होंने अपनी तरफ से – कल के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह बयान छापा है। इसलिए मैं श्री ओम् मेहता साहब से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बयान में जिस प्रकार की स्थिति का जिक्र किया है, उसकी ओर ध्यान देंगे। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि शिड्यूल्डकास्ट वालों के लिए हिन्दुस्तान में जो 17 रीजनल दफ्तर थे, वे बन्द कर दिए गए हैं। स्टेटों में कोई दफ्तर नहीं हैं जबकि ला-कमिशन ने दफ़तर खोलने के लिए कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार ध्यान देगी ताकि आगे चलकर शिड्यूल्डकास्ट कमिश्नर को आपत्ति करने का मौका न हो।

SHRI OM MEHTA : Sir, I want to make one thing clear and it is that there was a discussion here on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for about four days and I tried then to meet almost all the points raised by the honourable Members including Mr. Rabi Rai. I do not think there is anything new. I have clarified all these points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall take up the Statutory Resolution and the Bill in the after-noon. The House stands adjourned till 2-15 P. M. today.

The House then adjourned for lunch at eighteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at seventeen minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1874 (NO. 11 of 1974)

II. THE CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES BILL, 1974

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं —

"That this House disapproves the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974 (No. 11 of 1974) promulgated by the President on the 17th September 1974".

उपसभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने से पूर्व यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने के पीछे मेरी या मेरे दल की इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है जिसके कारण किसी भी प्रकार से तस्करों के साथ कोई सहानुभूति व्यक्त की जा सके। तस्करों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय, हम इसके पक्ष में हैं, बल्कि इतना ही नहीं, जिन तस्करों को अब तक संरक्षण मिला है, जिस सरकार की अकर्मण्यता से तस्कर व्यापार में निरन्तर वृद्धि हुई है, जिन लोगों ने तस्करों के साथ सहयोग किया है उन सबके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, हम इस पक्ष में हैं।

जहां तक इस आर्डिनेंस का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से संविधान लागू हुआ है, अर्थात् 26 जनवरी 1950 से, भारत की जनता को जिस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए और संविधान में जिस प्रकार के अधिकारों की व्याख्या की गई दुर्भाग्य से ये अधिकार उस समय से लेकर आज तक निरन्तर कुण्ठित किए गए हैं। यह सदन जानता है कि 25 फरवरी, 1950 को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू कर दिया गया था। मतलब संविधान लागू होने के एक माह पश्चात्। यह कानून जिस समय पेश किया गया उस समय इस बात का आश्वासन दिया गया था कि 1951 तक यह स्वत:

ही समाप्त हो जायगा। लेकिन स्थिति यह रही कि सरकार ने किसी न किसी बहाने इस की अवधि का एक्सटेंशन किया और 1969 में यह कानून लैप्स हुआ। उसके बाद 7 मई, 1971 को इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का नाम बदल कर मेंटेनेंस आफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से लागू कर दिया गया जो दुर्भाग्य से अब तक चला आ रहा है। 1962 में डी० आई० आर० लागू किया गया जो 1968 तक उसी प्रकार लागू रहा और फिर 1971 में डी०आई०आर० लागू किया गया जो आज तक लागू है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ हमने संविधान के माध्यम के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किये और और दूसरी तरफ इंटरनैशनल सेक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस आफ इंटरनल सेक्योरिटी एक्ट और डिफेंस आफ इंडिया एक्ट आदि के मातहत उन सारे अधिकारों को वापस ले लिया। मैं कह सकता हूं कि संसार में किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि एक तरफ संविधान में अधिकार दिए जायें और दूसरी तरफ उन संविधान के अधिकारों को किसी न किसी कानन के जरिए स्ट्रैंगुलेट किया जाय। लेकिन हमारे देश में यह विचित्र स्थिति रही है। अन्य देशों में भी संकट कालीन स्थिति पैदा हुई हैं। इंगलैण्ड मे भी संकट कालीन स्थिति थी, अमरीका में भी संकट कालीन स्थिति थी और दूसरे मुल्को में भी संकट कालीन स्थिति थी और उनमें संकट कालीन कानून भी बने है। दूसरे महायुद्ध में, उस के बाद जैसे ही महायुद्ध बंद हुआ 15 दिन के अन्दर अंदर इंगलैण्ड मे संकट कालीन स्थिति समाप्त कर दी गयी। हमारे यहां आज भी संकट कालीन स्थिति चल रही है। 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ उस समय मेंटेनेंस आफ इंटरनल सेक्योंरिटी एक्ट लागू किया गया। डी० आई० आर० लागू किया गया। आज सरकार से कोई पूछे कि आज किस प्रकार की स्थिति है? आज क्या देश में संकटकालीन स्थिति है? किस संकटकालीन स्थिति के कारण से यह दोनों कानून हिंदुस्तान में आज भी लागू हैं? मैं समझता हूं कि सरकार के पास उस का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। आज पाकिस्तान से हमारा समझौता हो गया है। पाकिस्तान के जो कैदी हमारे पास थे उनको हमने पाकिस्तान को वापिस कर दिया। लड़ाई के दौरान हम ने उनकी जिस धरती पर कब्जा किया था उसे हम ने उनको वापस कर दी और दहेज के तौर पर हमने छम्भ और जोरियां का क्षेत्र जिसमें हमारे सैकड़ों सैनिकों ने अपना बलिदान किया था वह भी उनको दे दिया। पाकिस्तान से हमारे ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, उससे भाई-भाई के सम्बंध बन रहे हैं, तो जिस स्थिति को लेकर हमने संकट कालीन स्थिति की घोषणा की थी, ईमानदारी के साथ अगर कोई विचार करे तो आज वह संकटकालीन स्थिति नहीं है और इसलिए इस प्रकार की स्थिति से लाभ उठा कर यदि आर्डिनेंस के जरिए या इस प्रकार के कानूनों के जरिए लोगों की स्वतंत्रता पर आघात करने की चेष्टा की जाती है तो यह मान कर चलिए कि उस स्वतंत्रता का स्वरूप जनमानस के सामने जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए वह नहीं होगा। लोग यह समझ कर चलते हैं कि सरकार की इच्छा के विपरीत जो भी कोई आचरण करेगा सरकार संकट कालीन कानूनों के नाम पर उन की आज़ादी का अपहरण कर सकती है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय 1971 में मेंटेनेंस आफ इंटरनल सेक्योरिटी बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस बिल के आब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्स में यह बात लिखी गयी थी कि:

'In view of the prevailing situation in the country and the developments across the border, there is need for urgent and

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

effective preventive action in the interest of national security. It is, therefore, considered essential to have powers of preventive detention to deal effectively with threats to the defence of India, especially from external sources and espionage activities of foreign agents. Since the existing laws available to deal with the situation have not been found to be adequate, the Maintenance of Internal Security Ordinance, 1972 has been promulgated. It is now proposed to replace the Ordinance by an Act"

अब ये जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये गए हैं, इसके परव्यू में हम इस आर्डिनेंस को लाना चाहें जो आपने स्मगलर्स को डील करने के लिए प्रस्तुत किया है, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वह लोकतंत्र की परंपरा, इस ससद् की परंपरा और कानून बनाने की जिस प्रकार की भी भावनाएं होती हैं उनका स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। एक्ट के प्रिएम्बुल में और स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो एक्ट की भावना है, उसके अंतर्गत भी हम किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स को देख लें और जो आपने आर्डिनेंस इश्यू किया है स्मगलर्स को डील करने के लिए उसकी भावना को देख लें। किसी प्रकार का तालमेल दोनों में नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स के परव्यू से बाहर यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन आता है तो वह संशोधन किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। यह कानून बनाने की विधि बिल्कुल गलत है और संसद को भी इस प्रश्न के ऊपर सीरियसली विचार करना चाहिए कि क्या सरकार को हम इस प्रकार का अधिकार दे रहे हैं कि वह मूल एक्ट में स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की भावना के विपरीत किसी प्रकार का संशोधन ला सकता है। तो पहला प्रश्न मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न म यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान के अन्दर स्मगलिंग का काम एक ही दिन के अन्दर बाहर निकल आया? सरकार भी जानती है और यह सदन भी जानता है कि स्मगलिंग की व्यापकता कितनी बढ़ गई है। यह क्यों बनी? ये स्मगलर्स अपने आप बढ़े, ऐसी बात नहीं है। जो आप कहते हैं कि स्मगलर्स बहुत बढ़ गए हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। आखिर सरकार है, सरकार का कस्टम विभाग है और सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटस हैं जो स्मगलिंग को रोकने के लिए तनख्वाह पाते हैं। सरकार ने एक प्रशासनिक व्यवस्था कर रखी है, स्मगलिंग रोकने की। उसके बावजूद भी हमारे देश में स्मगलिंग क्यों बढ़ी? इसे सरकार किस रूप में रखे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार का भी संरक्षण उनको मिला और राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण मिला और यह मैं ही नही, पहले जो मंत्री थे, के० आर० गणेश, उन्होंने अपने एक वकतव्य में कहा जो मैं थोड़ा पढ़ कर सुनाना चाहूंगा--

"Through their ill-gotten wealth and by generous contribution to social and political causes, notorious smugglers have unfortunately become men of respectability and power in our society. Their strength and their influence can be seen when a smuggler can get his passport application certified by VIP. Their influene is all-pervasive. In many Government departments they can get things done far more easily than other people. For instance it has been reported that a smuggler can get trunk calls booked within moments while the Enforcement officials have sometimes to wait for hours together to get their calls through . and the smuggler's calls are not even registered."

आगे फिर वे कह रहे हैं--

"The link up between notorious smugglers and powerful business and political interests and some of the corrupt sections in the Administration has become a grave threat not only to the economy but also to the moral roots of our society."

अब इसे सरकारी वक्तव्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री का इस प्रकार का स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं कि उस स्टेटमेंट के आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इन स्मगलर्स से पोलिटीशिएंस का किस प्रकार का लिंक रहा है, वह लिंक क्या हम तोड़ पाए? क्या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने की हमारे सामने कोई योजना है? क्या उन पोलिटीशिएंस के खिलाफ हम किसी प्रकार का कोई ऐक्शन लेने का साहस करते हैं? क्या आपकी मिनिस्ट्री ने एक ऐसा इनफ्रा-स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से तैयार किया है? मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार ने जो ऐक्शन लिया है उससे इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं लग रही है कि सरकार ने इस संबन्ध मे कुछ किया है।

उपसभापति महोदय, यह सदन जानता है कि पिछले दिनों में जितने भी प्रिवेटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं उस सम्बन्ध में सारे आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मेन्टिनेन्स आफ इंटर्नल सिक्योरिटी एक्ट में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको सरकार ने तीन भागों में विभाजित किया है--एक वायलेंट एक्टिविटीज, गुंडाइज्म, कम्युनल टेंशन, हार्बरिंग आफ डेकोइट्स, दूसरे इकनामिक आफेंसेज जिनमें होर्डिंग, प्राफीटियरिंग, ब्लैक मार्केटिंग और बाकी में अदर्स हैं। लेकिन 31 मार्च, 1974 को जो पोजीशन थी, उसको सामने रख कर मैं यह सिद्ध करने की चेष्टा करूंगा कि लोगों को राजनीतिक आधार पर ज्यादा गिरफ्तार किया गया है, बाकी चार्जों के कारण नहीं गिरफ्तार किया गया है। 31 मार्च को 3,864 बन्दी मेंटीनेंस आफ इंटर्नल सिक्योरिटी ऐक्ट के अन्दर रोके हुए थे। इसके अन्दर 2,219 व्यक्ति राजनीतिक कारणों से रोके हुए थे। आप उनको वायलेंट एक्टीविटीज के कारण से कह दीजिए या किसी और कारण से कह दीजिए, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं को आपने रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वायलेंट एक्टीविटीज के लिए इंडियन पैनल कोड में व्यवस्था की गई है। अगर आपने इन लोगों को रोक रखा है, इन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार का केस नहीं चलाना चाहते हैं तो दो परिणाम निकलते हैं। या तो सरकार के पास केस चलाने के लिए कोई ग्राउन्डस नहीं हैं या सरकार जिन आफेन्सेज के लिए सजा दे सकती है, परन्तु देना नहीं चाहती। तीसरी चीज आज मैं देखता हूं कि पालिटिकल वर्कर्स को रोक कर पालिटिकल एक्टीविटीज पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग सरकार की तरफ से हुआ है और राज्य सरकारों ने भी इसका खुल कर दुरुपयोग किया है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो 366 आदमी मीसा में गिरफ्तार किए थे उनमें ऐसे भी थे जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच तस्करी व्यापार करते हैं। 1971 में जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई हुई थी उन्हीं व्यक्तियों में से 171 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां से सोने का तस्करी व्यापार करोड़ों का हुआ है और लगातार तस्कर व्यापार होता रहा है, वहां से आज तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। सभापति महोदय, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि वे तस्करी जानते हैं और उन्होंने देखा कि हमें सरकार का संरक्षण प्राप्त करना आवश्यक है तो वे लोग कांग्रेस

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

के संगठन में घुस गए और मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी बन गए। आप भी कांग्रेस की लिस्ट और मंडल की लिस्ट उठा कर टेली कर सकते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको राजनीतिक आश्रय देकर प्रोत्साहित नहीं कर रही है? सभापति महोदय, सब जानते हैं कि स्मगलिंग हिन्दुस्तान में कोई कम नहीं है। 1966 में 6 करोड़ रुपए का माल इसी कारण जब्त किया गया और 1973 में 24 करोड़ का माल जब्त किया और जुलाई 1974 तक 26 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि स्मगलिंग लगातार बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। अगर सरकार यह कहे कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं था तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। आपको याद होगा, चौरड़िया का केस। जब आपने चौरड़िया को तस्करी के कारण गिरफ्तार किया तो इसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने यह निर्णय दिया कि स्मगलिंग हिन्दुस्तान के सारे इकनोमिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हमें किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ रियायत नहीं करनी चाहिए। उस समय उसकी गिरफ्तारी मीसा मे नहीं हुई थी उनको कस्टम एक्ट के मातहत लिया गया था। इसी प्रकार हाजी मस्तान और दूसरे तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट से बरी इसलिए नहीं हुए कि कानून में कोई खामी थी बल्कि हाई कोर्ट से इसलिए बरी हुए कि आपने सफिशिएन्ट रीज़न नही दिए, आप उनके पुराने और नए कारनामों के बीच में किसी प्रकार की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। आपने चार्ज लगाने में कई प्रकार की गलतियां कीं। यह गलतियां करने वाला कौन है? यह गलतियां करने वाली सरकार है और उसका लाभ उठाने वाले कौन हैं? इसका लाभ उठाने वाले तस्कर हैं। यह तस्कर व्यापार पिछले 15, 20 सालों से बढता जा रहा है। आप तस्करों की हिस्ट्री शीट उठा कर देखिए तो पाएंगे कि कानून की दृष्टि से उनकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती थी लेकिन दुर्भाग्य है कि रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश नही किया और इसी कारण से वे बरी होते हैं और अब और बरी होते जा रहे है। अब आपने प्रेजीडेन्ट आर्डर निकाल दिया, जिसके मातहत वे कोर्ट में किसी प्रकार दावा नहीं कर सकते। मैं समझता हू कि सरकार को चाहिए यह था कि वह एक कम्परिहेन्सिव लॉ बनाती और इन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कहता हूं कि आज उनकी सरकार प्रोसीक्युशन करना नहीं चाहती, उनको कोर्ट में जाने की छूट देना नहीं चाहती और इसके पीछे साफ कारण है। वह यह है कि कोर्ट में जाकर यह कह सकते हैं कि किस-किस राजनेता ने किस-किस व्यक्ति से कितना-कितना पैसा लिया है। सरकार को इसी बात का डर है और इसी कारण से उन्होंने ऐसा किया और यह सोचा कि 4, 5 महीने मे जेल में रहेंगे तो अपने आप सब बात दब जाएगी। सरकार ने घबरा कर ही इस प्रकार का निर्णय किया, क्योंकि अगर किसी प्रकार से ये मामले कोर्ट में चले जाते तो सारी बातों का पता लग जाता और यह पता चल जाता कि किसने इन लोगो से पैसा लिया है या इन लोगो से सहायता प्राप्त की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान मे तस्करी का व्यापार कोई छोटा-मोटा व्यापार नहीं है। यह नाजायज काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। आप वेस्ट-कोस्ट, गुजरात या, बम्बई आदि जितने भी हमारे देश में मैट्रोपोलिटन सिटीज़ है उनको देखिए तो आपको पता चलेगा कि इन नगरों के अन्दर स्मगल्ड माल के लिए एक तरह की क्रेज पैदा हो गई है। सवाल यह पैदा होता है कि यह क्रेज किसने पैदा की? मैं समझता

है कि हमारे देश में जो इकोनोमिक कंडिशन है उसके कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। आज आप बम्बई और कलकत्ता के अन्दर जाइए, आपको 10–20 हजार आदमी ऐसे मिलेंगे जो इनकम टैक्स की चोरी करने मे सहयोग करने के लिए झूठे इन्दराज करते हैं। इन लोगों ने हजारों रुपए की संपत्ति इकट्ठा की हुई है। बम्बई के अरविंद नामक व्यक्ति को, जिसने अपने नाम पर 6 करोड़ के लगभग फर्जी इन्दराज करा रखें हैं, आपने आज तक क्यों नही गिरफ्तार किया ? इसका कारण यह है कि वह दलाल भी है और उसको सरकारी अफसरो और राजनीतिज्ञों का संरक्षण भी प्राप्त है. . . (*Interruption*) उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि स्मगलरों ने इस देश में बड़ी-बड़ी बिल्डिगें खड़ी कर रखी हैं और सरकारी अफसर इन इमारतो मे जाकर ठहरते हैं। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण बताना चाहता हूं। राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया--मैं जिनके बारे में विशेष नहीं कहना चाहता हूं. . .

(*Interruption*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : He is not in the House.

श्री भैरों सिंह शेखावत . वे नटराज होटल में ठहरे और वहां पर तस्करो के साथ उनका फोटो खीचा गया। इसमे उनके मंत्री मंडल के तीन साथी भी थे। यह सारी की सारी चीजें होती रही है। आप इस प्रकार की स्थिति मे इसका अन्दाजा लगाइए। भारत सरकार किस प्रकार से इन मामलो की जांच कर रही है। मैं सारे मामलों में नहीं जाना चाहता। यह सिद्ध हो चुका है कि स्मगलरों के साथ यहां के राजनीतिज्ञो का संबंध रहा है। चौरड़िया का मामला सामने आ चुका है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खां ने एक स्थान पर वाटर वर्क्स की स्वीकृति दी जिसमें चौरड़िया ब्रदर्स का पैसा लगा था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि. . .(*Interruption*)। इसी प्रकार से गर्वनर श्री कानूनगों और मंत्री श्री गोखले ने तस्करों को गुड कन्डक्ट के सर्टिफिकेट दिए हैं। हमारे देश में जितने भी स्मगलर है उनका किसी न किसी रूप में राजनीतिज्ञों के साथ संबंध रहा है और उनका संरक्षण उन्हे मिला है।

SHRI OM MEHTA : Mr. Gokhle has not issued any certificate.

श्री रबी राय : (उड़ीसा) : उन्होंने ऐसा नही कहा है।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : आप लोग ही इन लोगो को संरक्षण दे रहे है और कानून नहीं बनने दे रहे है. . .

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : How many Members want to speak simultaneously ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : मैं स्पष्टीकरण चाहती हूं। अभी आपने स्वर्गीय श्री बरकतुल्ला जी का नाम लिया। यह किस जगह की बात आप कर रहे हैं ?

श्री भैरों सिंह शेखावत : सुरदार शहर, आपके गाव के पास ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत : आप यह गलत नाम ले रहे है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : उपसभापति, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश मे जो बड़े-बड़े स्मगलर हैं उनका किसी न किसी रुप में मंत्रियो से संबंध रहा है। पटेल, हाजी मस्तान, कलातरा आदि जितने भी तस्कर हैं इन सब का मंत्रियों के साथ संबध रहा है। हाजी मस्तान ने तो खुले आम कहा है कि मैने अपने पैसे से कई मत्री बनाए हैं।

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

हमारे देश में फारेन एक्सचेंज का जिस प्रकार का एक्ट है, अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में अच्छी प्रकार से देखें तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेकुना मिल जाएंगे। उन लेकुना और लूप-होल्स को यदि आप प्लग कर देंगे, तो मैं समझता हूं फारेन एक्सचेंज की बहुत बचत हो जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं। एक मैसर्स संत प्रकाश भगवान दास फर्म है बम्बई में। पहले पाकिस्तान में थी। पार्टीशन के बाद बम्बई आ गई और इंडो अफगान ट्रेड के अंतर्गत अफगानिस्तान में कुछ माल एक्सपोर्ट किया बताया, लेकिन एक्सपोर्ट प्रनिग्स को रिपैट्रिएट नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उनको डी-रजिस्टर कर दिया गया। इस कारण उनको कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल सकता था। इस प्रकार के निर्णय के विरोध में, 1967 में उन्होंने रेप्रेजेंटेशन किया कामर्स मिनिस्ट्री के सामने और यह कहा कि हमने 1960–61 में जो व्यापार किया है, अफगानिस्तान से 1960–61 में उस माल की रकम वहां पड़ी है, उस रकम के एक्सचेंज में माल इम्पोर्ट करने के लिए हमें कस्टम्स क्लियरेंस पेपर मिलने चाहिएं। अब यह मामला गया श्री दिनेश सिंह के पास, दिनेश सिंह जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया 1967 में। उसके बाद वह मामला गया श्री भगत के पास। उन्होंने भी 1967 के अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया। दो बार रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मैं समझता हूं किसी आदमी को संतोष करना चाहिए था। लेकिन फिर 1970 में रिप्रेजेंटेशन किया...

श्री रबी राय: कौन थे मंत्री?

श्री भैरों सिंह शेखावत: मैं बताऊंगा, परन्तु मंत्री का नाम अभी नहीं लेना चाहता। 1970 में फिर रिप्रेजेंटेशन हुआ। उस रिप्रे-जेन्टेशन पर मंत्री महोदय ने क्वेरीज कीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से यह पूछा गया कि यह बताएं कि इस पार्टी के कहीं फण्ड्स अफगानिस्तान में हैं या नहीं? और दूसरा प्रश्न यह पूछा कि माल इसने वास्तव में एक्सपोर्ट किया था या नहीं? रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का सर्टिफिकेट जो उस समय की व्यवस्था के अनुसार आवश्यक था है या नहीं। फारेन में माल उसने एक्सपोर्ट किया या नहीं। इसकी जांच के लिए डायरेक्टोरेट को उन्होंने लिखा। इन्फोर्समेंट डायरोक्टोरेट ने, आप ताज्जुब करेंगे, अपनी रिपोर्ट में यह कहा—देयर इज नो सच ए डायरेक्ट एविडेंस। इस फर्म ने पर्मिट मांगा था, सुपारी का इम्पोर्ट करने के लिए। 1970 में फिर एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देख कर उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान के अंदर हमारा ट्रेडर था जिसको हमने माल भेजा और जिसके पास हमारा पैसा पड़ा है वह अब अपना व्यापार वहां से हटा कर सिंगापुर चला गया, इसलिए हमें नाइलन यार्न और थ्रेड जापान और सिंगापुर से इम्पोर्ट करने का पर्मिट दिया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया और कहा कि हमें पोलिस्टर फाइबर उस पैसे के अगेन्स्ट में लाने का पर्मिट दिया जाए। पर्मिट भी 1971 में दे दिया गया। अब मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, नाइलन फाइबर व ग्रेड्स और पोलिस्टर फाइबर, ये दोनों एस० टी० सी० में कैनेलाइज्ड हैं। उनका इम्पोर्ट यदि कोई कर सकता है तो केवल एस० टी० सी० ही कर सकता है। अब इस फर्म ने जिसने कि 1960–61 के अंदर कोई एक्सपोर्ट किया बताया, एक्सपोर्ट का जिसके पास कोई सार्टिफिकेट नहीं कि इसने एक्सपोर्ट किया था और जिसके संबंध में डायरेक्टोरेट यह लिखता है कि इसकी बिजनेस बाहर हैं या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, बल्कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेक्ट ने लिखा जिस फर्म का यह नाम ले रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं मिलता, सभापति महोदय, उसको लाइ-सेंस इम्पोर्ट करने को दिया गया। इम्पोर्ट करने का लाइसेंस किस हालत में उसको दिया गया, उसके खिलाफ सी० बी० आई० की इंक्वारी पेंन्डिग थी। और इतना ही नहीं

अब मैं सरकार का वह पत्र पढ़ कर सुनाता। साथ नहीं है मेरे पास में, लेकिन माननीय मंत्री महोदय को नंबर पढ़ कर बताता हूं...

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : यह दूसरा लाइसेंस स्कैंडल मालूम पड़ता है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : चीफ कंट्रोलर मद्रास, वाइड सर्कुलर नं० 97/70/71 मद्रास, ता० 27-11-70। इस सर्कुलर में इस फर्म को अबेयेन्स में रखा गया और जौइन्ट कन्ट्रोलर दिल्ली ने एक लेटर आफ काशन इशू किया, जिसका नं० है: 130/69-70 सी०एल०ए०, ता० 27-1-70, informing the licencing authorities not to issue any licence to the firm.

श्री लाल आडवाणी : मंत्री कौन थे?

श्री भैरों सिंह शेखावत : वे मशहूर हो गये है हिन्दुस्तान के अन्दर, करप्शन के अन्दर श्री ललित नारायण मिश्र। इन्होंने दोनों पर्मिट दिए हैं। ये दोनों लाइसेन्स उन्होंने दिये है और उस स्थिति में दिए है जिस स्थिति में वे दे नहीं सकते थे, जिस समय इस फर्म का वजूद नहीं था और उस स्थिति में दिए जब एक्सपोर्ट के बारे में कोई वैरीफिकेशन नहीं किया गया था, उस स्थिति में दिया जब जौइन्ट कन्ट्रोलर कह रहे है उनको लाइसेन्स न इशू किये जाएं, उनके अगेन्स्ट में केस पेंडिंग रखा हुआ है। जितने आइटम्स के लाइसेन्स का परमिट दिया गया है वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में कैनेलाइज है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन उनका व्यापार करता है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर कितना फोरेन एक्सचेन्ज का मैटर है और कितना इन लोगों ने फारेन एक्सचेंज कमाया होगा? आप अन्दाजा लगा सकते है कि इस तरह से कितना ब्लैक मनी कमाया होगा? जिस समय पोलिस्टर फाइबर इम्पोर्ट करने की बात थी, उस समय टैक्सटाइल कमिश्नर ने यह कंडीशन लगायी थी कि माल लेने के बाद टैक्सटाइल कमिश्नर जिन लोगों को परमिट देगा, उस परमिट के आधार पर एक्चुअल यूजर्स को ही यह माल बाटा जायगा। माननीय सदस्यों को यह बात सुन कर ताज्जुब होगा कि टैक्सटाइल कमिश्नर ने जिन व्यक्तियों को परमिट दिया था, इस फर्म ने पोलिस्टर फाइबर उन एक्चुअल यूजर्स को तो नहीं दिया, बल्कि उसको उसने ब्लैक में बेच दिया। इस बारे में उससे एक्सप्लेनेशन काल किया गया, वह फाइल में मौजूद है। उस फर्म ने अपने एक्सप्लेनेशन में यह बतलाया है कि श्री ललित नारायण मिश्र ने मुझे जबानी यह कह दिया था कि तुम अपनी मर्जी से इस चीज को बेच सकते हो। यह चीज फाइल में मौजूद है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह से फारेन एक्सचेन्ज को प्रोटेक्ट करेगी? सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि फारेन एक्सचेंज का मिसयूज नही होना चाहिए, लेकिन वह इस तरह के कामों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फारेन एक्सचेज के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का ब्लैक मार्केट किया है, जिस व्यक्ति ने ब्लैक मनी पैदा किया है, उसको जल्द से जल्द मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाय। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज फारेन एक्सचेन्ज के मिसयूज को जिस व्यक्ति ने बढ़ावा दिया है, अगर किसी व्यक्ति को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो हिन्दुस्तान की सरकार के अन्दर जो हाजी मस्तान के रूप में श्री ललित नारायण मिश्र बठे हैं उनको गिरफ्तार किया जाय। तब ही जाकर यह फारेन एक्सचेन्ज का मसला हल हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सारा आर्डिनेन्स इशू किया गया है, उस आर्डिनेन्स से स्मगलिंग का कार्य रुकने वाला नही है। इसलिए मेरी मांग है कि जिन लोगों ने तस्करी करने वालों से

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

समझौता किया हुआ है, तस्करी व्यापार करने में जो लोग मिले हुए हैं, जो लोग तस्कर व्यापारियो को संरक्षण दे रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए और वह कमीशन इस बात की जांच करे कि किन-किन व्यक्तियों का तस्करों के साथ सम्बन्ध है। मिनिस्टरों का तस्करी में कितना पैसा है और वे किस तरह से तस्करी व्यापार में लोगों की सहायता कर रहे हैं ?

श्रीमन्, आज प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है, जो इस बात की जांच कर रही है। बम्बई और गुजरात के छः स्मगलरों को जिन्हें दिल्ली में रोक रखा है, जिनका इंटेरोगेशन हो रहा है और उस इंटेरोगेशन में कई चीजें रिवील होने वाली हैं और हुई हैं। भारत सरकार अभी तक इस चीज को दबाये बैठी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस प्रकार से जो भी इंटरोगेशन का काम हुआ है, जिसमें पोलिटिकल लोग इंवाल्व हैं, गवर्नमेंट इंवाल्व है, उसके सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करें। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह की इंक्वायरी स्वयं सरकार न करे, बल्कि इसके लिए एक कमीशन एपोइंट किया जाय जो इस मामले की पूरी जांच करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just now you have to wind up.

श्री भैरों सिंह शेखावत : सरकार ने स्मगलरों के खिलाफ हाल में जो कार्यवाही की है, उसके बाद उसने देश में यह हवा बना दी है कि इस कार्यवाही के वजह से देश में चीजों के दाम कम हो गये हैं। आपने इस तरह का प्रचार करने का लाभ उठाया है और कहा कि हमने तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करके देश में चीजो के भाव कम कर दिये हैं। लेकिन मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की इस कार्यवाही से देश में चीजों के दाम कम नहीं हुए हैं, वे अब भी बढ़ रहे हैं और तस्कर लोग फिर अपने काम में वापस आ चुके हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में जो सरकारी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और स्मगलरों की जितनी ताकत है, सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आज स्मगलरों के पास बोटस हैं, हाई स्पीडस बोट्स हैं, पावर फुल इंजन वाली बोटस हैं, ट्रांसमिटर हैं, वायरलैस सैट्स है, बड़े-बड़े वाइनोक्यूलर्स है, हथियार हैं, इस तरह की सारी व्यवस्था उनके पास है, परन्तु इन व्यवस्थाओं के मुकाबले हिन्दुस्तान की सरकार के पास कुछ नहीं है। मेरे पास जो आंकड़े है उनसे यह मालूम होता है कि सरकार इस काम में कुल डेढ़ करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इतने कम रुपयों में वह उन लोगों का मुकाबला कर सकेगी ? यह संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर सरकार स्मगलिंग को रोकना चाहती है तो ईमानदारी के साथ प्रयत्न करे। समय का यह तकाजा है कि वह पार्टी से ऊपर उठ कर इस कार्य में सब का सहयोग ले और इस कार्य में जो भी लोग लगे हों चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, उनको जनता के सामने लायें और खोल कर देश में एक नया एटमासफियर क्रिएट करें। सरकार यह कहे कि जो भी तस्करी का कार्य करता है उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अगर वह इस तरह की कार्यवाही करेगी, तब ही जाकर तस्करी का व्यापार रोक सकती है। इस प्रकार के आर्डिनेन्सों से यह कार्य रुकने वाला नहीं है।

अन्त म मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को बहुत पहले ही इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल लाना चाहिए था ताकि तस्करी में वृद्धि न हो पाती और हिन्दुस्तान की इकोनोमी में किसी प्रकार की आंच भी न आती। अब जो इस प्रकार का बिल आर्डिनेन्स की जगह पर ला रही है, उससे यह कार्य रुकने वाला नहीं है।

लेकिन सरकार ने जानबूझ कर, तस्करों को संरक्षण देने के लिए, इस प्रकार का कम्प्रिहैसिव कानून नहीं बनाया। जो छूट रहे हैं उनमें भी पिक एंड चूज का सवाल चल रहा है। जो कोर्ट से छूट रहे हैं उन सबको फिर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जयपुर का महशूर तस्कर, बल्कि हिन्दुस्तान का महशूर तस्कर, शंकर गुप्ता उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचना भेज दी, तुम अपने लड़के की जयपुर में सगाई करके आओ, सारा कारोबार सुरक्षित कर आओ। उसके बाद बम्बई में गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एडीक्वेट चार्जेज नहीं बनाए और इसलिए वह छूट गया। शंकर गुप्ता को आज तक फिर गिरफ्तार नहीं किया। मैं जानता हूं कि शंकर गुप्ता किन-किन मंत्रियों से संबंध हैं, किन-किन मंत्रियों को वह पैसा देता है। इस प्रकार के लोग भारत सरकार की पकड़ में नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तस्करी को रोकना चाहती है तो पहले कानून की स्थिति सुदृढ़ बनाए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति सुदृढ़ बनाए, उसके बाद देश में एक वातावरण इस प्रकार का निर्माण करें जिसके कारण तस्कर व्यापार न चल सके। यह स्थिति बनेगी तभी आपको इसका लाभ होगा, अन्यथा नहीं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to move:

> That the Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, as hon. Members are aware, prevention of smuggling and conservation of foreign exchange are of vital importance to a country like ours. In order to frustrate the activities of those anti-social elements which seek to take advantage of the country's situation in order to enrich themselves, Government have from time to time, taken various legislative and administrative measures. In 1962, the Customs Act in which the customs law was comprehensively revised was enacted. In 1969, legislative action was taken for regulating the possession and sale in vulnerable areas of articles smuggled on a large scale. Further measures were recommended by the Law Commission in its report on trial and punishment of social and economic offences. Amendments to the Customs Act to give effect to the important recommendations of the Law Commission were effected in 1972. A number of the Law Commission's recommendations were also incorporated in the foreign Exchange (Regulation) Act, 1973. The administrative arrangements for dealing with smuggling and foreign exchange violations have also been progressively strengthened. The preventive formations in the Bombay and Madras Custom Houses and the Central Excise Collectorates at Ahmedabad, Bombay, Cochin and Madurai have been reorganised and Preventive Collectors have been posted at Bombay, Ahmedabad and Patna. Additional Man-power has been deployed for preventive work in sensitive areas. Action has been taken to set up a wireless communications network covering the west coast and the Tamil Nadu coast. In order to strengthen patrolling of, and interception at sea arrangements have been made for the purchase of 20 fast vessels from Norway. Two of these have already arrived and have been deployed at Bombay with results which have proved encouraging. We have, however, found that because of the vast coastline and long land frontiers of our country, the legislative and administrative measures so far taken to check smuggling have not proved adequate. Experience has shown that the persons who have masterminded smuggling operations worked behind the scenes. It was usually only a landing agent or a carrier who because of his overt activities could be apprehended and subjected to action under the existing law, while the main organisers and financiers behind the scenes were able to continue their operations despite the increasing tempo of the seizures.

[Shri Pranab Mukherjee]

In many cases, preventive and intelligence agencies were in possession of reports indicationg activities of these persons, but for lack of evidence acceptable in a court of law, they could not be brought within the scope of the existing law. The Law Commission appreciated the seriousness of the problem and remarked that since the offences against the regulations of foreign exchange and customs have an immense impact on the well-being of the entire nation by virtue of their pernicious effect on vital national policies, Government should not be without power to detain preventively certain offenders against these laws.

After 1972, when the Law Commission made its recommendation, the activities of the master smugglers have been a matter for increasingly serious concern and it was in this backgroungd that the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974, was promulgated on the 17th September, 1974. This Ordinance amended the Maintenance of Internal Security Act of 1971, to bring within the scope of the Act various categories of smugglers and offenders against the Foreign Exchange Regulations.

The statement showing the reasons for legislation by Ordiannce has already been placed before the hon. House. There will, perhaps be general agreement that the activities of smugglers and foreign exchange racketeers are anti-social and pernicious and it should be desirable from all points of view to enact a self-contained measures, as the present Bill seeks to do, dealing exclusively with them and to segregate their cases from those of persons detained under the Maintenance of Internal Security Act for political or other reasons.

The questions were proposed.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठीक से तो नही कह सकता लेकिन सुना है कि हाजी मस्तान ने ट्रेजरी बैचेज के अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा है, उस पत्र मे की सारी चीजें तो मैं नहीं कहता, लेकिन आखिर में दो लाइनें जो उन्होंने लिखी है वह मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :

तेरी महफिल से उठाता गैर की थी क्या मजाल,
देखता था मैं कि तूने ही इशारा कर दिया।

मैंने बड़े गौर से लोक सभा में माननीय मंत्री जी ने जो इस की बाबत कहा है उस को पढ़ा और उसके लिए पांच, छः उन की दलीलें हैं।

पहली दलील तो यह है कि स्मगलर इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि मामूली कदम से, मामूली नियम कानून से उन पर पाबन्दी नही लगायी जा सकती, इसलिए मजबूर हो कर सरकार ने इतना सख्त कदम उठाया। दूसरी दलील यह देते हैं कि उन स्मगलरों ने अपने को जनता के अन्दर लोकप्रिय बनाने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और दूसरे कामों में काफी दान दिया है और उस दान का नतीजा यह हुआ है कि जल्दी के उनके खिलाफ कदम उठाने का किसी को साहस नही होता। तीसरी चीज दी है कि अगर उन के लिए कानून यहां पेश होता और उस पर बहसें होती तो शायद इतनी आसानी से उन की गिरफ्तारियां नही हो सकती थीं। सरप्राइज फैक्टर उन के लिए जरूरी था वरना यह लोग इकट्ठा गिरफ्तार नहीं हो सकते थे। चौथी दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने पोलिटिकल डेटिन्यूज हैं उन के लिए तो उस ने एक सिद्धांत कायम कर दिया है, लेकिन वह सिद्धांत स्मगलरों पर लागू नही होता, इसलिए इस की चिन्ता नहीं है कि उस का नाजायज फायदा उठा कर रूलिंग पार्टी अपने विरोधियों का दमन करने का प्रयास करेगी। पांचवी दलील उन्होंने यह दी है कि हम आप को आश्वासन देते हैं कि पोलिटिकल परपज के लिए इस का हम नाजायज फायदा नहीं उठायेंगे और आखिर में उन्होने यह कहा है कि अपोजीशन पार्टीज ने हमेशा इस बात की माग की है कि स्मगलरो के खिलाफ, रेकेटियर्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की

3.P.M. जाय। अब ताज्जुब यह होता है कि विरोध पक्ष इसका विरोध क्यों करता है। आखिर मे उन्होंने कहा है कि शुरू

से आज तक जैसे अभी भी बताया मंत्री महोदय ने कि कदम-पर-कदम उठाये लेकिन सारे कदम फेल हो गये। इसलिए यह सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ी। ये उनकी दलीलें है।

मैं अब सत्तारूढ़ पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। दलीलें ठीक है, मैं उन का जवाब देने से पहले, उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। विरोधी पक्ष इस बात का विरोधी नहीं है कि आप स्मगलरो ब्लैक मार्केटियर्स, रेकेटियर्स के खिलाफ कदम क्यों उठा रहे हैं, विरोध पक्ष का विरोध इस बात से है कि ये कदम क्यों आप उटा रहे हैं कि उसे कोर्ट से भी डिबार कर रहे हैं। आपकी मंशा इसके पीछे यह नही है कि इससे आप स्मगलिंग को रोकेंगे, उसे बन्द करने जा रहे है, आपकी मंशा ज्यादा इसमें है कि आप उस रहस्य को छिपा लेना चाहते हैं जो इस स्मगलिंग के पीछ लगी हुई है। यह विरोध पक्ष की ही भावना नही है, यह सारे देश की भावना है। आपने क्या समझकर उनसे कहा कि वह कोर्ट मे नहीं जा सकते है ? आपके उद्देश्य अच्छे हों, लेकिन मुसीबत यह है कि जिस माहौल मे आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, देश ने उसको इस भावना से लिया है कि कोर्ट में जाने पर उसके पीछे के राजफाश होने पर उसमें सत्तारूढ़ दल के बड़े-बड़े दिग्गज लोग भी आ सकते हैं। इसलिए सरकार ने फौरन यह कदम उठाकर उनको रोक दिया कि वे कहीं पर्दाफाश न कर दें। इसकी मिसाल थी, आपको मालूम है, दिल्ली के स्टेट बैंक से जो 60 लाख रुपया गया। कितनी जल्दी उसको हश-अप किया गया, उस पर परदा डाला गया कि आज तक कोई चूंक नहीं कर सकता। इसका जवाब ट्रेजरी बैंचेज के पास क्या है कि सारे देश के अन्दर जो एक भावना उभर रही है कि आप कोर्ट से उनको डिबार करके केवल अपने राज को जाहिर होने से बचाना चाहते हैं, राजाश नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आपने स्मगलिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने के नाम पर अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश की है। इसका जवाब दें।

यह बात ठीक है कि आप निहायत नेकनीयती से कह सकते हैं कि इस कदम का विरोध पक्ष को दबाने के लिए या विरोध पक्ष का कार्य का दमन करने के लिए नहीं उठायेंगे। लेकिन मंत्री जी, इस गारन्टी को कौन लेगा? क्या पता है कि कौन मंत्री कितने दिन रहेगा। क्या पता है कि कोई अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा, यह कोई गारन्टी ले सकता है ? अगर आप इतिहास को इतना जल्दी भुला देना चाहते हों, उससे लाभ न उठाना चाहते हों तो देश की बड़ी बदकिस्मती होगी। एक ऐसा काम है जो शुरू में तो बहुत आसान लगता है और किसी अच्छे नाम पर उठाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वह जिस दिशा की तरफ प्रगति करता है उसमे आप और हम जाल मे फंसते जाते है। मैं आप को मिसाल दूं, संक्षेप मे। हिटलर ने सन् 1933 मे नारा लगाया कि यहूदियों के खिलाफ और सारे कानून उसने इस बिना पर बनाये कि यहूदी कौम देश का दुश्मन है, इन्होंने जर्मन पस्पा किया है। इसलिए इनके खिलाफ जो भी कदम उठाये जाये सब जायेज हैं। नतीजा यह हुआ कि उस कदम को बढ़ाते-बढ़ाते उसने कम्युनिस्टो के खिलाफ, सोशलिस्टों के खिलाफ, फिर दूसरी पार्टियों के खिलाफ भी उटाया। उसे मजबूत करते करते इस हद को पहुंचा कि सारी दुनिया को खुन के आंसु लाने पड़े और अन्त में विलजन-कैम्प, आर्शविच कैम्प, कसंट्रेशन कैम्प ही नहीं गैस चैम्बर्स के बारे में सारे कांड हुए। लेनिन ने सन् 1917 में क्रान्ति की। उनके मरने के बाद स्टालिन आये। ख्रुश्चेव ने अपनी किताब में लिखा है

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

"ख्रुश्चेव रिमैम्बर्स" । उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी स्टालिन के खिलाफ गया उसे पीपुल्स ऐनिमी टर्म दिया। उसको पीपुल्स ऐनिमी, रियक्शनरी, पीपुल्स ऐनिमी, रियेक्शनरी कहा।

यह दो शब्द थे उसके पीछे लाखों किसानों का कत्ल हुआ, लाखों आदमी भूखों में लाखों को साइबेरिया भेजा था। यह नहीं पता चलता था कि बर्फ की चट्टान की जैसे कोई आदमी खड़ा फंस गया हो। इस बारे में स्टेलिन ने रवैया अखितग्रान किया कि अगर उनका आदमी कोई आज दरबार में बैठा है तो उस को पता नहीं है कि कल रहेगा या नही जगोदा, यशोदा, और बेरिया और बेरिया ने तो इतना जाल रचा था कि स्टेलिन भी खतरे में हो गया । एक बार उसने कहा था कि बेरिया से तो मुझे भी खतरा है। यानी दिस बीज एक रेन आफ टैरर। फ्रैंच रेवोल्यूशन फेल हुआ रेन आफ बेरार की वजह से। स्टेलिन बूचर कहलाया। आपको याद होगा कि 25 साल की हुकूमत करने के बाद जब वह खत्म हुआ उसको कब्र से निकाल कर उसको बाहर फैंका गया। ही वाज काल्ड ए बूचर।

किसी को भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्सान के लिए रोटी बहुत जरूरी है लेकिन रोटी के साथ-साथ एक और भी चीज जन्म लेकर आती है यह है आजादी की भूख। केवल रोटी के भरोसे नहीं चला जा सकता हां, यह बात जरूर है कि रोटी पहले आती है, आजादी की भूख बाद में। लेकिन उसको दबाया नहीं जा सकता। स्टेलिन रोटी की भूख को कामयाब कर पाया या नहीं यह तो पता नहीं, हो सकता है लेकिन स्टेलिन ने अपने रवैये से सारे देश को उस हालत में पहुंचा दिया जिस हालत में चंगेजखां नहीं पहुचा सका है और शायद माओ-त्से तुंग के भी मरने के बाद चीन में वही करना हो जो स्टेलिन के मरने के बाद ख्रुश्चेव को करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक चीज को जरूर शुरू करते हैं जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि कदम उठाना शुरू किया। सन् 62, 67, 68 से उठाए गए लेकिन इन सब के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि जो आपने कोर्ट में जाने का द्वार बंद कर दिया उससे मसला हल नहीं होगा। इसका कारण है कि जिस कारण से स्मगलर्स पैदा हुए 25,20 साल में उधर आपने ध्यान नहीं दिया । मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि जब तक रोग का निदान नहीं होता है---तब इसकी दवा नही हो सकती है । यह जो आप दवा देने जा रहे हैं यह उस दर्द से भी खतरनाक है जिसकी आप दवा करने जा रहे है। जिस दवा को आप करने जा रहे हैं तो आपने इस बात को देखा नहीं, समझा नहीं कि पिछले इतने वर्षों यह मर्ज इस तरह क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको समझ ले कि मर्ज इस ओर और क्या बढ़ रहा है, इसकी बुनियाद कहां है और कौन-कौन से कारणों से और इसका अब तक पहले से इलाज हो गया होता तो आज आप मर्ज को न पाते। इस मर्ज की बुनियाद आपके घुसखोरों में है और उन राजनीतिक नेताओं में हैं जिन्होंने इसको उदासीनता की आंखों से देखा या उस को आश्रय दिया । वरना क्या यह संभव था कि जो स्मगलर्स इतने मजबूत हो जाए । आप स्वयं तसलीम करते हैं कि कई साधारण कानून और कई साधारण नियम आज तक बनें । यह आपकी फेल्योर है, आपकी नाकामयाबी है । सबसे बड़ा सबूत है इसका क्या जवाब देंगे यह किसके जिम्मे आता है यह विरोधी पक्ष के जिम्म नहीं आता। यह आपने 25 साल तक समगलर्स को ऐसा बना दिया कि एनारकी कायम हो गई ।

यह जिम्मेदारी किस पर है ? इधर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है क्या ? इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कानून के दरवाजे और कोर्ट के दरवाजे इन लोगों के लिए बन्द मत कीजिए । उनको कोर्ट में जाने दीजिये । आप यहां पर कोई व्यक्तिगत आश्वासन दें तो उसका पालन भविष्य में होने वाला नही है कि आप कल को मिनिस्टर न रहें और कोई दूसरा आदमी मिनिस्टर बन जाय । इसलिए आप किस के बल पर यह आश्वासन देना चाहते हैं ? अभी अभी कुछ दिन पहले लोक सभा में श्री मधु लिमये ने एक प्रश्न पूछा कि फलां स्मग्लर के खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं की गई और फलां को चुन कर उसके खिलाफ कार्यवाई क्यों की गई, तो सरकार की तरफ स कोई जवाब नही दिया गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे । यही कारण है कि विरोधी पक्ष की तरफ से इस प्रकार विरोध हो रहा है । यह विरोध इसलिए नही हो रहा है कि हम तस्करी को इस देश मे बढ़ावा देना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि इस देश से स्मग्लिग समाप्त हो, हम चाहते हैं कि इस देश से ब्लैकमार्किटिंग समाप्त हो, हम चाहते हैं कि इस देश में जो राजनैतिक और आर्थिक लूट चल रही है वह समाप्त हो । लेकिन जिस रास्ते पर चल कर आप इसको समाप्त करना चाहते है उससे यह समाप्त होने वाला नही है । आप लोगों मे यह साहस नहीं है कि आप इन मामलो को कोर्ट मे ले जायें । मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आपने कानून का रास्ता नहीं अपनाया और खुलकर आप इन लोगों को कोर्ट में नहीं ले गये तो यह देश तानाशाही की तरफ बढ़ेगा और तानाशाही से आप इस देश को बचा नहीं सकेंगे ।

SHRI D. P. SINGH (Bihar) : Mr. Deputy Chairman, two hon. Members opposite who have spoken have failed to conceal their solicitude for the smugglers. Either in the guise of protection of their rights or on the allegation of the abuse of this power, they have unmistakeably shown their anxiety to their friends and colleagues who have been sustaining them in power and giving them this capacity. Sir, it is in this regard that I will submit that this is a welcome measure which is coming today because at the moment nobody can deny that the country is passing through a critical situation. If it were not so, the Members of the Opposition, day in and day out—interminably—would not go on saying about the crisis but from their speeches now it appears as though everything was normal and why was this legislation coming except to thwart their freedom and guaranteed independence and the fundamental rights. It is perhaps a little too late in the day to raise some of those basic questions—that the Constitution impinges on the rights and liberties of citizens. Perhaps it may be very useful to remember that the Constitution itself, under article 22, permits detention of persons.

It is a tragedy, of course, that that right to detain should be put in the Fundamental Rights Chapter as though it were a fundamental right. But the Constitution-makers knew the Indian conditions, knew the Indian minds, knew the Indian weaknesses, and advisedly they put this provision in the Constitution. Now, Sir, if we examine the manner in which the Ordinance that came up before us has been worked out, then it will appear that there are two main grounds on the basis of which the courts have been trying to release the persons detained for economic offences. One is that the offences mostly given in the grounds as required under the Constitution are distinct in time. And the second is that even if one ground out of the whole lot of the grounds given is vague, then they are entitled to acquittal, and it is on that basis that their releases have been ordered. Whereas we submit that while we support the Bill, we support the measure, I consider it my duty to point it out for the examination of the Law Ministry that when we are embarking on such a venture, it is worthwhile taking steps to plug the entire gamut of loopholes through which many of the detentions have been set at naught in the last few months. Unless you change rules of procedure as embodied in the criminal laws whereby the presump-

[Shri D. P. Singh]

tion of innocence always rests with the persons detained or accused, then it may be a little difficult. We have tried to to do so in the case of Prevention of Corruption Act where the finding of wealth disproportionate to the known sources of income enable the Government to draw a presumption that the person will have to prove his innocence. Likewise, this may be attempted in this bill. And secondly we have also to make the necessary changes in the law whereby we have to make it clear that even if one ground of detention were good enough, even if one ground of detention is correct, then the detention shall not be invalidated. Now, these are the two basic challenges in the procedure. Sir, I will submit that we thought Government would have taken advantage of the 25th Amendment of the Constitution which made an amendment to Article 31, and today we have Article 31(c) of the Constitution. Now, what does Article 31 do ? For the purposes of making sociological changes, for the purposes of removing concentration of wealth, for the purposes of making equitable distribution of wealth in the society, it has provided that Article 14 or 19 or 31 of the Constitution can be suspended or can be over-ridden.

Now, likewise, we should try to take advantage of this and either enlarge the scope of Article 31C in the Constitution or make an amendment under Article 360 of the Constitution to make a provision like Article 359. Then, Sir, I submit that it would be a cast iron thing from which it will be impossible for any smuggler to come out. Sir, elaborating a little the argument is that if property in any form can be acquired by suspending the Fundamental Rights—if any nefarious means are utilised for that ill-gotten wealth, those nefarious means cannot be above the Constitution; and by this little amendment in Article 359 or Article 360, of the nature of Article 359, it may be possible to remove the whole difficulty. Actually, it is Article 360 itself which deals with financial emergency and it may be worthwhile examining the possibilities. Now, Sir, this much about the Constitutional aspect. I would submit that there is always a hue and cry when a subject-matter of this nature is brought before this House, and the cry is that power is being abused. So far, to my recollection, not one case has come out, not one person has come forward aleging that a person belonging to the Jana Sangh or the B.L.D. has been arrested, because he belongs to the Jana Sangh or B.L.D. and is not a smuggler. Sir, no such incident has either been placed in the courts or in this House where any rank abuse....

श्री रबी राय : मैं श्री सिंह साहब की जानकारी में यह बात कहना चाहता हूं कि श्री अशोक दास, जो उड़ीसा में विधान सभा के सदस्य हैं, जो बी० एल० डी० के सदस्य हैं, उनको मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : श्री वाजपेयी जी को भी मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

श्री रबी राय : श्री कर्पूरी ठाकुर को भी मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था जो आपके प्रदेश के भतपूर्व मुख्य मंत्री थे।

श्री डी० पी० सिंह : क्या स्मगलिंग के चार्ज में गिरफ्तार किया गया? मैं तो यह कह रहा था कि जिन लोगों को मीसा के अन्तर्गत इकौनौमिक आफेन्स के चार्ज में गिरफ्तार किया गया और जिन्हें स्मगलिंग के चार्ज में गिरफ्तार किया गया, इन दोनों के बारे में मैं कह रहा था। मैं तो आर्टिकल 360 की बात कह रहा था जो कि इकौनोमिक इमरजैन्सी के बारे में डील करता है। तो आप जरा इस बारे में गौर से सुनें और कांस्टीट्यूशन को सामने खोल लें।

श्री रबी राय : कोई जरूरी नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपकी सरकार लोगों को मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार करके सारी आजादी को कुंठित कर रही है।

श्री डी० पी० सिंह: यह ताज्जुब की बात है कि आप जो यह कह रहे हैं कि श्री

वाजपेयी जी को स्मगलिंग चार्ज में मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और दूसरे उड़ीसा के एक सदस्य को स्मगलिंग के चार्ज में मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मैं तो स्मगलिंग की बात कर रहा था। मैंने तो कोई भी ऐसा केस नहीं कहा जिसमें किसी पार्टी के सदस्य को स्मगलिंग के चार्ज में अरेस्ट किया गया हो और जो आपकी पार्टी के हों।

...न्दर सिंह

श्री रबी राय: आप को ... ग्रेस के बारे में मालूम ही होगा कि वे ... के सदस्य हैं और स्मगलिंग के चार्ज में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

श्री डी० पी० सिंह: आप इस बात को देखिये कि मैं इस बारे में कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। जो भी गुनाह करेगा उसको अरेस्ट किया जायेगा।

Therefore, my submission is that, by and large, by providing for an Advisory Board, by providing for the examination of individual cases before the court so that no injustice is done and no abuse is made, the safeguards at the moment in favour of the accused person or detenu appear to be adequate. We congratulate the Government particularly for sub-clauses (iv) and (v) of proposed section 3(1). Sub-clause (iv) says dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods and sub-clause (v) deals with harbouring persons engaged in smuggling goods or in abetting the smuggling of goods. With these two provisions the net is cast wide and many of the subterfuges likely to be adopted have been sought to be attended to in these two provisions. By and large, this measures tries to settle many of the problems and tries to plug loopholes particularly in regard to the maximum period of detention and so on. Subject to the amendments that I have suggested, I feel that the needs of the community and the needs of the situation and the hour will be adequately served by this Bill.

Thank you.

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, my speech has been very conveniently helped by my predecessor, Mr. D. P. Singh, who made a very innocent appearance on behalf of the ruling party. He tried to show that this is a measure which is going to help the society that it is expected to control smuggling and so on. Let us examine the social, economic and political roots of smuggling and corruption and ill-gotten money by various anit-social elements. It is because of the economic social and political policies pursued by the Government in power that a large number of parasites in the society have ill-gotton money, including smugglers. Recently the Government introduced certain measures to control smuggling. I would like to prove that these measures are intended by the ruling party to be part of what I may call the politics of camouflage, the politics of hoodwinking the people. I do not think they are, sincere regarding socialism or sincere regarding controlling the anti-social elements. In a period of inflationary prices and serious economic crisis, which we have never had before—may be we had a similar crisis, during 1929-31—the Government is doing this. We had a world economic crisis then as we are experiencing today. Now, there is a severe economic and social crisis. In order to meet the rising tide of people's anger, the Government brings forward a certain measure as part of the politics of camouflage and the politics of hoodwinking the people. How else could one explain the fact that the goods collected from smugglers after raiding are still kept in the basement of income-tax offices in various places, including Bombay ? No attempt to assess the smugglers or bring them to book has been made. Raids have taken place and a lot of publicity has been given but when it comes to assesing income-tax the Government is still soft to the same people because there are anti-social elements from whom the ruling party gets plitical sustenance. Cash, gold and all kinds of things have been got through raids, but may I ask the hon. Minister how many of them have been really brought to book in terms of assessment ? Madam Prime Minister once came to this House and in reply to the charge made by the hon. Mr. Niren Ghosh that she had met Haji Mastan—if you check up the records, she chose her words very carefully-she said, "I have not met Haji Mastan knowingly.", This was the wording used. There

[Dr. K. Mathew Kurian]

The whole mischief is on record that he gave Rs. 3 crores to the ruling party and he is terribly annoyed that the ruling party is harassing him even after giving Rs. 3 crores. And he says that he is prepared to give more to the ruling party provided this temporary harassment which is, of course, part of their politics of camouflage is avoided. And Mr. Ganesh who has had the great opportunity to be in the forefront of this so-called march towards socialism was summarily dismissed from power, and we have a Minister of State, Mr. Mukherjee. Mr. Mukherjee may be very well meaning but after all he is a small cog in the big wheel of the Government of India which is all-powerful, all-pervading and which is in the hands of the big capitalists, landlords, smugglers, racketeers and so on.

AN HON. MEMBER : He is as sincere as Mr. Ganesn.

DR. K. MATHEW KURIAN : Let me prove my contention by bringing some facts to light. I have here with me some information regarding tax assessment of C. H. Pukoya Thangal, C. H. Sayed Hassan C. H. Sayed Abdul Rehman and two others And the interesting thing is that the tax authorities did not make any enquiry into the business of the party. The amounts held by all the tax-payers were in cash ; addresses of all the five were common, but even at this common address, they were not found. After the settlement was made, they were really let off. I have got here another case where a tax-consultant has written to the Commissioner of Income-tax saying—

"My client has income from undisclosed source and from his business from 1956 and onwards his wealth as on 31-1-67 is a sum of Rs. 4 lakhs. A major part of this capital is invested in buildings and in buying distribution rights of motion pictures."

Here is a simple case of a smuggler who, according to his tax-consultant has income from undisclosed sources and that he is investing it in buildings and in buying the distribution rights of motion pictures. Then he says—

"Since my client is not in a position to explain the source of this income, he voluntarily offers the said amount of Rs. 4 lakhs to be taxed in his hands for and from a', y. 58-59 to 1967-68 equally spreading it over for a period of nine years."

I can tell you, Mr. Minister, that this recommendation of the tax-consultant was accepted by the Commissioner and his income was spread over and taxed. And he goes scot-free. There is another case of a smuggler who has been let loose. All these things are taking place under the very nose of Mr. C. C. Ganapathy who, I understand, has been a member of the Board. A lot of things have happened right under his nose. I can name the person who has been there in the whole situation. I can give you another instance. The petitioner, who is a smuggler, writes to the income-tax authorities—

"I am not assessed to income-tax. At present I am aged ....As per the territorial jurisdiction, I can be assessed to income-tax with the.... Ward. During the last 10 years out of my income from sundry tailoring and gift received on several occasions, I have accumulated sum of Rs 1,00,000/-up to 31-3-1968. Since this amount cannot be exactly related with my activities, I am submitting this settlement petition to your honour that the said sum of Rs. 1,00,000/- be spread over and assessed in my hands for and from....and have to submit as under :—"

"(1) that no enquiry as to the source of this capital be made."

This is accepted by the Income Tax Commissioner.

(2) No attempt be made to prove anyone or me as to be the benamidar of anybody."

This is the petition of the Tax Collector and has been accepted by the Commissioner.

(3) This sum so disclosed be spread over equally in my hands for and from such and such year.

(4) No penalty be charged u/s 271(1)(a) or 271(1)(c) in view of the fact that this settlement is entirely a voluntary one.

(5) Penalty u/s 273(b) be charged at minimum.

(6) Penal interest, if any, be waived under the rules of the I.T. Act."

and so on. Here is a concerte case of a

smuggler where the petition of the smuggler was accepted by the Income Tax Commissioner. Mr. Deputy Chairman, how do you explain all this by the Income Tax authorities ? I suggest that the high-ups in the Income Tax Department, in the Customs, in the Government of India are in collusion because they get sustenance from political power.

Mr. Deputy Chairman, I have here a photograph of Shri Bhanu Shah Yagnik, Minister in Mr. V. P. Naik's Ministry sitting with one of the biggest smugglers in the West Coast, Mr. Jhaveri, in conversation. Mr. Deputy Chairman, I would like to know whether MISA will be used against this Minister of the Maharashtra Government who is in collusion with one of the top smugglers in the West Coast, Mr. Jhaveri. I could also exhibit photographs of important officers of the Government who are in charge of controlling this business in spiritual relaxation with smugglers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Kurian it spiritual or spirituous ?

DR. K. MATHEW KURIAN : In the language of Shri Y. B. Chavan, "spiritual relaxation". This is the political source of corruption and smuggling.

I would like now to concretely make aone or two proposals. One is that there are elements in our society who are prepared to bring these people to book, who are prepared to give information. Is the Governmment prepared to give them protection and support under the normal laws of the Government ? I have here, Mr. Deputy Chairman, a copy of a letter from Mr. A.Krishnan, from from Palghat, Kerala, addressed to the Secretary, Board of Revenue (Taxes), Government of India, where he says that....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Before you read out some letter, the normal practice would be to show it to the Chairman that you want to quote it. You should have taken permission.

DR. K. MATHEW KURIAN : I am only giving the content. The content of the letter is that this individual has written to the Government several years ago giving information against tax evasion, smuggling and so on. But, he says, the whole operation of the Government flopped because the party got the information. That is the point. Information is given by these well-meaning individuals who write to the Government, Secretary, Board of Revenue (Taxes), but the information gets passed on to those who are really the smugglers, who are the tax evaders.

The second point is I would like to ask the Minister whether he is prepared to give support and give police protection, if necessary, to those who give correct information and help the smugglers to be brought to book. In fact, this is not being done. Secondly, within the machinery of the Government, even otherwise corrupt machinery, there are individuals and groups who are prepared to help. For example, take the income tax department which has to assess the smugglers on their income. What is is the situation today ? The Income Tax service today is divided into two warring camps. Recently 63 Assistant Commissioners were reverted because they were people with lot of experience, promoted from class II. They were suddenly reverted. There is apathy in the Income Tax Department. Work is not being done because those who are supposed to be enthused to do this work on behalf of the people against smugglers, they are being undercut by the staff policy of the Government. I would only like to bring these facts before the hon. Minister. According to my information—may be these are not the latest figures—the presen cadre strength of the Income-tax service is something like 2,250 officers in Class II and about 700 officers in Class I, among whom about one half, *i.e.* 350, are those who have been promoted from Class II. About 2,600 of these officers, who are Class II and promotees from Class II to Class I, have been responsible for the record 38 lakh assessment and Rs. 1,021 crores of net collections in the financial year 1971-72. And the contribution of the other group was much lower There is a group, I believe, at the lower level in the Government, Class III and Class II, those with 10 yrears' and 20 years experience who have been promoted on an *ad hoc* basis. You have demoted them you have reverted them. How do you expect enthusiasm to be created in the Income tax Department for the type of assessmen that you would like to have ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : What is the relevance of that to the present subject ?

DR. K. MATHEW KURIAN : The relevance is that these smugglers are not covered by this type of collection and this could have been prevented provided you took them into confidence. Mr. Minister, you would not realise the relevance. For you the only relevance is MISA and the DIR under which you will penalise the working people. You will use it as a cover to tell the people that the MISA and the DIR are being used for genuine purposes.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Haji Mastan represents the working class?

DR. K. MATHEW KURIAN : The smugglers including Coolie Mastan will get away and you are going to misuse the MISA and the DIR against the ordinary working people in fields and factories. *(Time bell-rings)* MISA will be misused against ordinary people. You will take cover against facts under the politics of camouflage. You must withdraw from that and retrace your steps. If you have courage, take strong action against the smugglers who get political sustenance from your own party.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति महोदय, आज जो सदन के सामने बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं पूरे दिल से समर्थन करती हूं। स्वागत भी करती हूं और समर्थन भी करती हूं। पिछले दिनों में जो स्मगलिंग के बारे में एक अभियान सरकार की ओर से चलाया गया था उसका असर आप्ति कुछ हमारी इकोनोमी पर पड़ा और उसका देशव्यापी असर हुआ। लेकिन कानून में कुछ इस प्रकार की खामियां होने की वजह से, जो कि पूरी तरह से तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी वह कार्रवाई न किए जाने के कारण हमें एक आर्डिनैन्स लाना पड़ा। हालांकि मैं मानती हूं कि यह आर्डिनैन्स भी जबर्दस्त तस्करों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मेरी अपनी निजी राय यह है कि इस आर्डिनैन्स के तहत या इस कानून को और भी मजबूत बनाया जाए। क्योंकि हमारी यहां की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि विदेशी मुद्रा के तहत और तस्करी का सामान जो सामने आता था वह आज बिल्कुल हमारे मुल्क की इकानोमी को बिगाड़ने के लिए खड़े हो गए। अन्दाजा लिया जाता है कि 400 करोड़ के लगभग सालाना यह तस्करी हुई। हम को इसको हटाने के लिए यह कानून लाना पड़ा और जब तक यह कानून पूरी तरह से इम्पलिमेंट न हो तब तक तस्करी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। दो महीने पहले आर्डिनैन्स लाया गया था इसके पहले भी हमारे पास हालांकि कानून थे उनमें यह बात नहीं थी कि लोगों को सजा नहीं मिली हो, सजा भी मिली और 1971-72 में हजार, दो हजार लोगों को सजा मिली लेकिन वह इतनी कम सजा दी जाती थी कि असल तो कल्पिट था जिनके जरिए यह चलता था उनको हम पकड़ नहीं पाए। क्योंकि स्मगलिंग एक ऐसे रूप में चलता है जो की-मन होता है वह दूर बैठा रहता है और वहीं बैठे सारा काम करवाता रहता है। यह कहा जाता है कि साधारण कोर्ट में मुकदमा चलाने से क्यों रोका जाता है? मेरा कहना है कि अगर हम इसको रखेंगे तो यह स्पष्ट है कि सरकार जो चाहती है, सजा देना चाहती है वह सजा नहीं दे पाएगी क्योंकि हमारे कानून कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसमें कानून वाले कहते हैं इससे एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी।

इसी तरह की बुनियाद के ऊपर हमारा कानन दृढ़ न होने के कारण अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं और तस्करों के ऊपर कोई सजा नहीं हो पाई है। यही कारण है कि यह आर्डिनैन्स लाना पडा है और मैं इसका तह-दिल से स्वागत करती हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस बारे में सख्त से सख्त कानून बनाइये जिसमें इन लोगों का डिटेंशन हो सके और इन इन लोगों को सख्त सजा मिल सके और इन लोगों की जायदाद जब्त की जा सके अगर आप ऐसा कानून नहीं लाएंगे तो ये

लोग आगे बढ़ते जाएंगे । इसके अलावा आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि इन लोगों के इस देश में और विदेशों में जो लिंक हैं उनको भी तोड़ा जाय । आपने उनको छः महीने तक नजरबंद रखा, लेकिन जब तक आप उनके पर नहीं काटेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । इन लोगों के जो होटल हैं या सिनेमा घर हैं इनको जब्त किया जाय । मुझे यह देखकर अचरज हुआ कि हमारे उधर बैठने वाले भाई जो हमेशा स्मग्लरों और करप्शन की बात करते हैं, इस आर्डिनैन्स का विरोध कर रहे हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इस विरोध के पीछे उनका असली मंशा क्या है ? जहां तक मैं समझती हूं, अभी तक ऐसा कानून नहीं बन पाया है जिसके मातहत इन लोगों को सजा मिल सके : विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस बात का आरोप लगाया कि इस कानून का उपयोग पोलिटिकल लोगों पर किया जाएगा । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आज तक किसी पोलिटिक्कल व्यक्ति के ऊपर स्मग्लर का चार्ज लगाकर सरकार ने नहीं पकड़ा है । इसलिए उन्हें इस बात का संदेह क्यों हो रहा है। या तो उनके अन्दर यह सदेह है कि उनके आपस-पास ऐसे लोग हैं जिनका संबंध स्मग्लरों से है या कोई अन्य कारण है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे श्री बीजू पटनायक के यहां शराब की बोतलें निकली हैं इसलिए ये लोग इन बातों का विरोध कर रहे हों। आखिर यह बात समझ में नहीं आती कि इस विरोध के पीछे राज क्या है ?

अभी जब जनसंघ के श्री शेखावत जी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इतना स्मग्लिंग हो रहा है, लेकिन लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हम लोग इन तस्करों के खिलाफ सख्त कानून लाते हैं तो हमारे विरोधी भाई वाक-आउट कर जाते हैं। यही नीति इन लोगों की दूसरे क्षेत्रों में भी चलती है। जब ये लोग कहते कि जनता को अनाज दीजिए और सरकार लेवी लगाती है या प्रोक्योरमन्ट करती है तो विरोधी लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। चूंकि इस वक्त विरोधी पक्ष की तरफ कोई सदस्य नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में अधिक न कहकर मंत्री महोदय से सिर्फ तीन चार बातें जानना चाहूंगी। हमारे देश में जो स्मग्लर हैं जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति बन गई है, जिनके पास नौका वाहन हैं, उनके बारे में आपने क्या किया है ?

और दूसरी ओर उनके चेन हैं बड़े बड़े होटल्स के, मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग्ज के, पौशि रेस्टरांज के, और उनमें बहुत से लोग हैं सिनेमाज को फाइनेंस करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री में लगे हुए। तो आज जब इसके ऊपर बहस हो रही है तो मंत्री जी यह जवाब दें कि उनके चेन को तोड़ने के लिए इस वक्त आप किस रास्ते से चलना चाहते हैं ? इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 3 दिन पहले मैंने एक सवाल रखा था, उसमें मैंने यह पूछा था कि आजकल स्मग्लर्स को पकड़ने में शिथिलता क्यों नजर आ रही है, आज से महीने डेढ़ महीने पहले जिस तरह से सरगर्मी चल रही थी वह आज क्यों नहीं दिखाई देती, तो जवाब में हमारे मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि हम पहले की तरह पब्लिसिटी नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पब्लिसिटी क्यों नहीं की जाती है ? क्या वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी या उसमें यह नहीं लिखा था कि जब ऐसे आर्थिक क्रिमिनल्स पकड़े जाए तो उनके बारे में पब्लिसिटी की जानी

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत]

चाहिए क्योंकि उसका पूरा देश के ऊपर अनुकूल प्रभाव होता है कई लोगों के दिल के अन्दर खौफ रहता है, लोगों को यह जानकारी होती है कि किस तरह से तस्करी होती है और कैसे इसको रोका जाए। इससे एक वातावरण बनता है, इससे एक हवा फैलती है और इस तरह का धंधा करने की हिम्मत नहीं होती, चीजों के भाव भी नीचे जाते हैं। तो आपने जो यह कहा हम पब्लिसिटी नहीं करते तो क्यों नहीं करते? मैं पूछती हूं क्या आपकी मिनिस्ट्री का फर्ज नही है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए और एक्सपोज करके जनता के सामने रखें ताकि उन लोगों को शरम आए, संकोच पैदा हो और ऐसे गंदे-गंदे कारनामे करने में आगे की ओर न बढ़ें।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगी, कि एक हाई पावर कमेटी आपके विभाग में बनी हुई है, उसमें ऊंचे दरजे के सेक्रेटरी हैं, शायद केबिनेट सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या आपके इस पदग्रहण के बाद आपने इस हाई पावर कमेटी को मीट किया है, उसकी मीटिंग की है? कै दफा आपने मीटिंग की है, अथवा नहीं की है? जैसा कि इधर-उधर चर्चाएं चल रही हैं, मुझे भी सुनने का मौका मिला, अभी तक आपने कलक्टर्स और कमिशनर्स के साथ जो कांफरेंस की जानी चाहिए थी, आपने कितने बार कीं, या नहीं कीं? लोगों के दिमागों में यह शंका बनी हुई है कि कस्टम्स के जो क्लेक्टर्स हैं, कमिशनर्स हैं, वे आप लोगों के मांइंड को देखना चाहते हैं आप लोग कितनी मजबूती के साथ इस स्टेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ब्यरोक्रेसी इज ब्यरोक्रेसी। अगर आप सख्ती करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी सख्ती करेगी, अगर ढिलाई करना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी भी ढिलाई करेगी। तो आपने उन लोगों को किस तरह के आर्डस दिए हैं, कहां तक आगे जाने का आर्डर दिया है, वह हम सारी की सारी बातें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ देंगे? मैं आपसे कहना चाहती हूं, ब्यूरोक्रेसी कभी अपने आप कुछ करके नहीं दिखाएगी। यह मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कितना कदम वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप 10 कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी आपको सहारा देकर आपके कहने के अनुसार काम कर दिखाएगी लेकिन अगर आपने कोई भी ढिलाई की और इस तरह की बातों की पब्लिसिटी नहीं दी तो उसके बुरे नतीजे निकलते हैं। आज 25 सालों के अन्दर उनको अंदर ही अन्दर दबाया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं यह चाहती हूं आप पब्लिसिटी का अभियान जरूर चलाए रखें।

चौथी बात, अभी तक जितने टाप स्मग्लर्स पकड़े गए हैं उनके बारे में मंत्री महोदय हमको बताएं कि कौन कहां-कहां रखे, गए उनके साथ सरकार किस तरह का बर्ताव कर रही है, उन्हें साधारण श्रेणी के लोगों में रख छोड़ा है या उनको, विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या सुविधाएं उनको आप दे रहे हैं? दूसरे, उनसे संबंधित जो बड़ी बड़ी प्रापर्टीज थीं जैसे पार्क होटल कलकत्ता में सुरजीत पाल का है, उस सब के बारे में आपका कोई ब्रोश्योर है कि नहीं? इसी तरह से एम्बेसेडर होटल है; नारंग की गिरफ्तारी के बाद एम्बेसेडर होटल का क्या किया है, उसकी स्थिति कैसी चल रही है, आप उसकी देखरेख कैसे कर रहे हैं? एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी : क्या यह सही है कि कोस्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी जो मद्रास म है, वह एक बहुत बड़े स्मग्लर यासीन की है, वह कम्पनी जिसका मालिक यासीन था, वह आज भी मद्रास शहर में फ्लाई-ओवर्स बना रहे हैं, और भी कितने ही कंस्ट्रक्शंस के काम

हाथ में लिए हुए है, तो वह कम्पनी फ्लाईओवर्स के अलावा और कौन सी बिल्डिंग बना रही है?

और यह भी जानना चाहूंगी कि क्या यह बात सही है कि मीसा की अन्तर्गत यासीन की गिरफ्तारी का वारेन्ट निकाला गया था और उसके बाद कहा जाता है कि वह हांगकांग में चला गया है? आपकी इस बारे में पर्सनल इंफारमेशन क्या है? क्या वह हांगकांग में है या फिर मद्रास में ही बैठा है? आम चर्चा यह है कि वह मद्रास में ही बैठा है और किसी ने उसको शील्ड किया हुआ है और इस तरह से वह वहां पर रह रहा है। अगर वह मद्रास में है तो आपका सी० आई० डी० विभाग या आपका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? क्या उसने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी हासिल की या नहीं कि वह मद्रास में ही है या बाहर चला गया है? अगर वह मद्रास में है, तो उसको कौन शील्ड कर रहा है और क्या वहां की गवर्नमेंट को भी इस बारे में जानकारी है या नहीं? इस बारे में वहां की गवर्नमैंट का क्या रुख है? उधर जो भाई बैठे हैं, उनसे मैं यह कहूंगी कि अगर वह मद्रास में है, तो वे कौन लोग हैं जो उसको शील्ड कर रहे हैं क्योंकि उधर के लोगों की तरह से बार बार यह कहां जाता है कि कांग्रेस वाले इस तरह के लोगों के साथ सांठगांठ बनाये हुए हैं। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि जो रवैया विरोधी दल की ओर से इस कानून के सम्बन्ध में दिखलाया गया उससे तो यह साबित होता है कि सांठगांठ इधर की ओर से नहीं है बल्कि उधर की ओर से है।

मंत्री जी से जो चार, पांच सवाल मैंने पूछे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके बारे में डिटेल बातें बतलायेंगे। जिन लोगों को समगलिंग के अपराध में पकड़ा गया है उनके लिंक को तोड़ने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है, आपके विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या तत्परता दिखलाई है, आपके विजिलेंस विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है क्योंकि उनकी ही बातों पर आपको डिपेन्ड करना होता है। यह कोई मामूली बात नही है क्योंकि जो समगलर है उनको बहुत बड़ा गैंग---बना हुआ है। उनके पास स्पीड बोटस हैं, उनके पास वायलैस है, उनके नीचे पचासों हजार आदमी काम कर रहे हैं, इंटैलिजेंट आदमी काम कर रहे हैं, उनका विदेशों में जाल फैला हुआ है। उनको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। उनके खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है। मैं चाहती हूं कि तस्करों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जानी चाहिये और युद्धस्तर पर इस सम्बन्ध में काम किया जाना चाहिये। क्या इस बात के लिए आपके लोग तैयार हैं? क्या आपके पास इसके लिए आफिस तैयार है, दूसरे साधन हैं ताकि आप इनका मुकाबला कर सके। इन सारी बातों के सम्बन्ध में आप डिटेल में हाउस को बतलायें। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप इस सम्बन्ध में हाउस को समय समय पर बतलाते रहें हैं कि इस सम्बन्ध में आपकी क्या एक्टीविटीज होती रही है ताकि देश की जनता यह बात जान सके कि कहां-कहां पर क्या-क्या कदम उठाये गये हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : MR. Schamnad.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, Government has not discovered anything. Government has not made any reasearch that smugglers are existing in this country. For the last two decades, smuggling was going on in this country. Parallel economy was prevailing. Economic offences are being committed without any fear. Black marketing was going on in this land. Hoarding is going on without any body's fear. How did these flourish in this country

[Shri Hamid ali Schamnad]

The Vice-Chairman (Shri V. B. Raju) in th (Chair]

How did parallel economy flourish in this country ? That is with the patrongae of the Government of India. The Government of India encouraged smugglers. Government encouraged hoarders and black marketeers. We know very well all these efacts. Now, MISA is being used. When Haji Mastan, one of the biggest smugglers of this land as arrested, he made it very clear, "But for the help given to me by the top-most Customs officials and other officials of this land, but for the aid of these officials, I would not have been what I am today. I have come from the streets and I am an illiterate man. But for the help given by the Government machinery I would not have been here in this position". That was the statement made by Haji Mastan.

Sir, what I want to know is : Did the Government inquire into this matter? 4 P.M. Did Government book a single high official and bring him under the MISA and put him with Haji Mastan in the same jail. No, Sir. Because Government knows their own people. Even the Government of a State is involved in this episode, I do not want to bring Governor's name again in this House. Governor is being all alleged to have certified the conduct of Haji Mastan and given him a passport and all that. If that is the state of affairs, is it not that the Government is responsible for ruining the economy of our country ? Govenment also have equal responsiblity for ruining our economy. Sir, let me make it very clear that I am against smuggling in this country, I am against hoarders and black marketeers. I am also for taking action against all antisocial elements who do anything detrimental to the progress of our economy. But, at the same time, Sir, we must have clean hands ; the officials of the Government who execute, who implement the law, they should first rise above board. Today we do not find that our officials are clear in this matter.

Sir, another thing is. as far as the Bill is concerned, Section 3 empowers the officers of the Central Government, of the rank of Joint Secretary, and officials of the rank of Secretary in the State Governements, to issue warrants if they are satisfied. Sir, I may quote this relevant Section.

"The Central Government or the State Government or any officer of the Central Government, not below the rank of a Joint Secretary to that Government, specially empowered for the purposes of this section by that Government, or any officer of a State Government, not below the rank of Secretary to the Government, specially empowered for the purposes of this section by that Government may if satisfied, with respect to any person (including a foreigner), that, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the conservation or augmentation of foreign exchange or with a view to preventing him... "

"If he is satisfied" ; it should not be so loose. So if an official mentioned above is satisfied that a particular person does anyting against the interests of the country, he could be put behind the bars. But what happens if the same MISA is used against a worker in a factory or against anybody whom the Government does not want or against whom that particular Government official has got any grievance and he is put behind the bars ? He should be given an opportunity to appear before the court and say, "I am not a smuggler, I am not a hoarder, I am not a blackmarketeer." Is it that the elementary right, that Fundamental Right, should be denied to an innocent person ? I am not speaking of Haji Mastan. Now about 500 people have been kept behind the bars, but at the same time many Haji Mastans are not arrested to day, they are set free bcause of their influence with the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : If you have any information give it to the Government.

SHRI AHMID ALI SCHAMNAD : Sir the Government knows very well who is who Sir, tomorrow if a man like our Vice Chairman who is such an honest man, is kept behind the bars, he should be given an opportunity to appear before the court and say, "I am an honest man. I have nothing to do with smuggling. I should be set free". But that opportunity is taken away. That definitely is not in the best interests of democracy and not in the best interest of justice and equity.

Sir, another thing I should like to bring to the notice of the Government. I am coming from a place from where many people have been arrested under MISA. You all know that many people have been arrested from my town,

AN HON. MEMBER : After Bombay, that is number two.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : Sir, the previous State Minister Mr. Ganesh came to Kasaragode town. He went round the town and stood near the gate of the smuggler's house, the so called sumgguir's house and had a survey of the town and returned back. But Sir, to the very same house, many of the ministers from Karnataka, many of the Ministers from Kerala, many of the government officials both of the Central Government and the State Government, did go to that house as guests and hobnobbed with him and collected huge funds. But Mr. Ganesh only stood outside the gate and came away from there. In fact, I have a grievance against Mr. Ganesh. As a courtesy, he should have written to the Members of Parliament of that local area. He should have written to them, he should have called them for a discussion, he should have asked them whether they have to say anything and he should have discussed with them. But that much courtesy he did not show. I regret very much. On the other hand, the henchmen of smugglers accompanied Mr. Ganesh throughout his tour to Kerala. The very same people who had gone to the so-called smuggler and collected funds garlanded Mr. Ganesh in may places. That I can very boldly say. That is why I say, if you give this power to such officers, what would the fate of the common man, what would be the fate of the farmer and what would be the fate of the poor and innocent of this land ?

Another thing, Sir. Mr. Mohsin should also hear me being the Home Minister of India and hailing from he neighbouring State of Kerala.....

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : I have not visited the smuggler's house.

I have not seen Kasaragode even....

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : You have not seen Kasaragode ? Very bad. You should come to our place.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : Sir, many documentary films are now being screened in the cinema houses wherein the buildings, purported to be the buildings of the smugglers and donated by the smugglers and so on are shown. But Sir, because of the carelessness of the government officials or with intention I do not know, the historical mosque of Kasaragode has also been screened in the documentary film. And there was big agitation in Kerala by different organizations with the result, the screening of the documentary was suspended. The screening of the documentary 'Black money' produced by the Films Division has been suspended by the State Government following objections from various Muslim organizations. The objections were raised because the Malakminar Mosque at Kasargode was shown as the product of black money in the documentary. Sir, this is one of the oldest mosques of Kerala. This is nearly 800 to 1000 years old. And your Informantion Officer could not make out a mosque that was constructed 800 years ago. That was filmed as a mosque constructed by black money. At the same time, Sir, the Congress office building of Cannanore District for which huge money was given by the smugglers is not shown in the documentary. That should have been shown in fitness of things.

DR. RAMKRIPAL SINHA (Bihar) : Was that shown as a centre of smuggling or as one constructed out of their funds?

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : The latter is true.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : When Mr. Ganesh came to Kerala he was asked by the press people "What about the huge donations given by a very big so-called smuggler for the construction of the Congress office building in Cannanore?" Mr. Ganesh said "You put the question to the Congress President". But not a single Congressman denied that. I am not against that but, at least, the District Congress Office also should have been shown in the film instead of a place of worship whereby the sentiments of the Muslims are offended. That shows the carelessness and indifference on the part

[Shri Hamid Ali Schamnad]

of the officials. That is why I say, when you use MISA you should be careful. It should not be used against innocent people. And when innocent people are brought and put behind the bars—as I pointed out, if such a nice man like Mr. Raju —our Vice-Chairman or somebody alse is kept behind the bars—they should be given an opportunity to go to the court and plead that they are innocent. Otherwise they will be behind the bars for at least two years. That should not be there. When you detain a person, give him on opportunity to plead his innocence. After hearing him only he should be convicted.

Whoever does anything against the economic interests of the nation, give him the maximum punishment. Whoever does anything to rain the economy of our land and drains our economy, he should be punished to the maximum. I won't object to it. But, at the same time, innocent people should not be punished and innocent people should not be made a target. This is my submission.

Thank you, Sir.

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए और श्री शेखावत जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि इस देश में पिछले 10 वर्षों से स्मगलिंग बढ़ बढ़ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, काला धन लोगों के पास जमा हो रहा है और यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही है । मैं सोचता था कि विरोध पक्ष जो हमेशा ही इन बातों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है वह वास्तव में मूल रूप से इस बुराई को दूर करने में सरकार अगर सामने आयेगी तो उसका हाथ बंटायेगा और उसका साथ देगा । लेकिन जब मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि यह क्या कानून ले आये, साधारण कानून के अन्तर्गत उन्हें अदालत में जाने की इजाजत होनी चाहिये थी वह अपना पक्ष रखते कि मैं ब्लैक मार्केटियर नहीं हूं, वह साबित कर सकते तभी उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जानी चाहिए थी । मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि यही तो सारी बीमारी थी । जो लोग चालाक वकील की तरह, चालाक नहीं तो जो बहुत होशियार है, मैं खुद भी वकालत करता हूं, होशियार वकील अपने क्लायंट की बुराई नजरअंदाज करके किस तरह से उसको बचा सके वैसा करता है । आप सब जानते हैं कि इस सदन में और सदन के बाहर विरोध पक्ष की यह मांग रही है कि ऐसे कानून लाये जाने चाहिए जिससे स्मगलिंग पर अंकुश किया जाए, जो पैरेलल इकानामी चल रही है उसको किसी तरह कब्जे में लिया जाए । लेकिन आज जब सरकार ने हिम्मत करके एक ऐसा कानून बनाया और उसको सदन के सामने रखा जिससे स्मगलर्स के ऊपर पाबन्दी लगे, देश में हवा फैली है और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वह कब्जे में आयें, जो हमारे आर्थिक क्षेत्र में अराजकता फैल रही है उस पर अंकुश लगे तो आप कहते हैं कि ऐसा कानून क्यों लायें, साधारण कानून के अन्तर्गत यह सब करना चाहिए था । सब जानते हैं कि साधारण कानून में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि स्मगलर्स को पकड़ा जा सके, उनकी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जा सके । तभी यह कानून लाया गया । इस पृष्ठभूमि में यह कानून लाया गया जबकि देश के अन्दर विरोध पक्ष यह मान बैठा था कि यह समानान्तर ढंग की आर्थिक व्यवस्था चलेगी, यह सरकार कुछ नहीं कर पायेगी और लोग ऊंचे गले से कहते थे कि सरकार यह कदम नहीं उठाती और उन्होंने यह मान लिया था कि इस में सरकार सफल नहीं होगी । लेकिन जिस दिन अध्यादेश आया तो आपको क्या नजर आया ? तब यह नजर आया कि सरकार चाहती है कि इन पर अंकुश न लगे, उन्हें यह नजर आया कि अब चुनाव की बात सरकार के ध्यान में आ गई है । चुनाव जीतने के लिए यह कानून लाया गया है और जो उन्होंने मांग की थी उनकी मांग को विरोध पक्ष भूल गया ।

उनको आज केवल एक बात यही याद रह गई कि चुनाव सरकार के ध्यान में है।

अभी विरोध पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि जब यह कानून आया तो सारे देश में एक वातावरण बना कि सरकार कुछ रहस्यों पर पर्दा डालना चाहती थी।

पता नहीं देश के किस कोने में, वे रहे, देश के किस वर्ग से मिले। हो सकता है भ्रांति, भ्रम में रहने वालों ने यह बात फैलाई। किन्तु सरकार ने फिर हिम्मत से काम लिया और देश में सर्वत्र इस कदम का स्वागत हुआ। आज कुछ लोगों ने इसी प्रतिष्ठा की जगह पर भी आघात किया है। आज जरूरत इस बात की है कि जो लोग धन के आधार पर इस देश में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। हमारे समाज में, हमारे देश की परम्परा रही है हमेशा जैसा गांधी जी ने अपने युग में कहा था और ऋषि-मुनियों ने कहा था कि आप धन दौलत इकट्ठा मत करो। वह आदमी इज्जत पाता है जो धन दौलत से मोह नहीं रखता। लेकिन इस कलियुग में, जिसके पास धन दौलत है वह कोई भी पाप क्यों न करे, कितने भी कुकर्म क्यों न हों वह सब करता है और प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। इस कानून के द्वारा इस प्रतिष्ठा में भी आंच आई है, आघात पहुंचा है।

मैं समझता था कि विरोधी पक्ष इस बात की मांग करेंगे कि इसमें और कड़ाई हो। यह नहीं कहा गया। हमारे भैरों सिंह जी, जो मेरे मित्र रहे हैं और हम दोनों राजस्थान में 10 साल तक विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि वे एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे कि इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं वह अराजकता को लाना चाहते हैं, स्मगलर्स को छूट देना चाहते हैं; हमारी आर्थिक व्यवस्था को लड़खड़ा देना चाहते हैं। मेरा कहना है कि सारे देश में इस का स्वागत किया गया है और अगर घबराहट किसी को हुई है तो हमारे उधर के बैठे हुए साथियों को। वे यह समझते हैं कि जनता पर इस सरकार की धाक जम गई है। सरकार अपनी नीतियों पर सफल उतर रही है।

मैं एक बात अपने मित्र से कहना चाहता था जो चले गए। वे पहले संसोपा में थे और अब बी0 एल0 डी0 में चले गए हैं कह रहे थे कि आजादी को कुंठित कर रहे हैं, आजादी के ऊपर आघात कर रहे है। जब सरकार मीसा के अंतर्गत पकड़ती है तो उन को कौन सी आजादी याद आती है? चोरी करने की, देश की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद करने की, और देश में भ्रष्टाचार फैलाने की। क्या आप रक्षक बनना चाहते हैं ऐसे लोगों के? देश की जो अर्थ व्यवस्था आज बर्बाद हो रही है, आज देश म जो मंहगाई से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को राहत मिले इस के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया है। इस दिशा में यह एक सही कदम है जो सरकार ने उठाया है। इस का स्वागत किया जाना चाहिए। कई जनसंघी भाई हैं जो बाजपेयी जी का नाम लेते हैं कि उन को मीसा के अंदर पकड़ा गया था। मीसा के अंतर्गत कुछ राजनीतिक लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस दिशा में जो यह कदम उठाया जा रहा है वह सारे देश की भलाई के लिए एक कदम है, एक प्रशंसनीय कदम है और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विरोधी पक्ष की परंपरा बन गयी है कि जब कभी निहित स्वार्थों पर चोट होती है, विरोधी पक्ष का एक वर्ग घबरा उठता है। आज थोड़े से लोगों को छोड़ कर सारे का सारा विरोधी पक्ष

श्री नत्थी सिंह]

निहित स्वार्थों को बचाने के लिए एक हो गये हैं। एक बात जब इस देश में प्रीवी पर्स का उन्मूलन कर दिया गया था तो विरोधी पक्ष के एक वर्ग ने यह कहा कि वचन भंग हो रहा है, राजाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है जब कि हिन्दुस्तान की जनता ने उस को एक सही कदम माना। जब बैंक नेशनलाइजेशन की बात आई, विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि बैंक नेशनलाइजेशन तो फ्रांस में भी हो गया, योरुप के देशों में भी हो गया, यह कोई बड़ा काम नहीं है। यह तो आम जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला कदम है। (*Interruptions*) जब यह मांग की जाती रही कि गेहूं के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो यही भाई कह रहे थे गांवों में जा कर कि किसानों को लूटा जा रहा है और शहरों में मजदूरों को कह रहे थे कि तुम्हें मंहगा गेहूं देकर भूखा मारा जा रहा है।

जब मिसा के अन्तर्गत स्मग्लरों को गिरफ्तार करने की बात आई तो विरोधी पक्ष के लोग इसका विरोध करने लगे और यह कहा जाने लगा कि मिसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ये लोग किस की वकालत करना चाहते हैं? क्या इस तरह से ये लोग इस देश के गरीब लोगों की वकालत करना चाहते हैं? यह भी कहा जाता है कि इस कानून के अन्दर विरोधी दलों के लोग पकड़े जायेंगे। हमारे किसी साथी ने कहा कि श्री बीजू पटनायक के यहां तलाशी क्यों ली गई और इस बात पर नाराजगी प्रकट की। लेकिन किसी भी विरोधी सदस्य ने पंजाब के अन्दर जिस कांग्रेसी विधायक को पकड़ा गया है, उसके लिए धन्यवाद नहीं किया। मैं यह साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इसमें किसी कांग्रेसी या विरोधी दल का सवाल नहीं है। जो लोग इस तरह के अपराध करेंगे उनको इस कानून के अन्दर पकड़ा जाएगा। इस बात में कोई दो मत नहीं होने चाहिएं कि मिसा के अन्दर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा। जो लोग अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तस्करों के हमारे देश में जो लिंक्स हैं उनको भी समाप्त किया जाना चाहिए। पिछले दिनों वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उनकी छानबीन हो रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस छानबीन के अन्दर चाहे कोई भी व्यक्ति निकलें, चाहे वे इस पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने तस्करों के राजनीतिज्ञों के साथ फोटो खिंचवाने का जिक्र किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल इस प्रकार का प्रचार करके बच नहीं सकते हैं। उनकी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका संबंध तस्करों के साथ निकला है। लेकिन उन्होंने इस बात को कभी कंडेम नहीं किया जबकि विरोध पक्ष के एक बड़े नेता ने एक कुख्यात तस्कर को शरण देने की बात खुद स्वीकार की है। अब चाहे बहाना कुछ भी रहा हो। आखिर अगर हम चाहते हैं कि इस देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो तो हमें निश्चित रूप से सख्त कदम उठाने होंगे।

अब कुछ बातें मैं तस्करों के संबंध में बनाये जा रहे वातावरण के संबंध मे कहना चाहता हूं। आप इस देश के कुछ अखबारों को उठाकर देख लीजिये

उनमें हर रोज किसी न किसी बड़े स्मग्लर के बारे में लिखा होता है। मैं पूछना चाहता हू कि उनको इतनी पब्लिसीटी क्यों दी जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि विरोधी पक्ष के और सत्तारूढ़ पक्ष के लोग इस बात का प्रयत्न करें कि इस देश में स्मग्लरों के खिलाफ वातावरण बने। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वे हिम्मत के साथ काम करें। अभी पिछले दिनों यह बात भी सामने आई कि दमन के कलेक्टर जब दिल्ली आए तो उनका यहां पर एक्सीडेन्ट हो गया और कुछ लोगों की तरफ से यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसके पीछे स्मग्लरों का हाथ है। इसी प्रकार से एक जौयन्ट सेक्रेटरी का एक्सीडेन्ट हो गया और उसमें भी स्मग्लरों का हाथ बताया जा रहा है। यह कहा जाता है कि दमन के कलेक्टर ने तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाई में हाथ बंटाया, इसलिए उनको मार डाला गया। इस प्रकार के जो प्रचार हैं, मैं समझता हुं कि उनका चलने देना ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में चुस्त जांच की जावे और ईमानदार अफसरों की सुरक्षा की जावे।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्मग्लरों ने जो जायदाद जमा कर रखी है, चाहे वह उनके नाम पर हो या बेनामी हो, उसको जब्त किया जाना चाहिए। जब तक आप तस्करों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्यवाई नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। साथ ही जो तस्कर उच्च न्यायालयों से आरोप-पत्र लचर होने के आधार पर छूटे हैं उनमें इस बात की अवश्य जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसा बड़े अधिकारियों की तस्करों के साथ सांठगांठ के कारण हुआ है? और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिये। हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, यह बीमारी जो हमारे देश में पैदा हुई है, जो हमारे समाज में पैदा हुई है और जिससे समाज में विषमता पैदा हुई है उस बीमारी को मिटाने के लिए हमने जो कदम उठाया है उस कदम को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कामयाब हों।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN: Sir, the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill is undoubtedly welcome. But I am constrained to oppose this Bill because of the provision for preventive detention contained therein. It is not as if rackets in foreign exchange and activities in smuggling had happened only the other day and we had to curb them. These activities have been going on in quite a large and visible measure during the last several years. The first question that I would like to ask the Government is—well, Government have taken very seriously to the prevention of these nefarious activities, which undoubtedly is welcome, as I said in the beginning itself—what are you doing with the officers who had been in this racket all these years? Sir, in Bombay a person who has been arrested for smuggling and who is now detained has built right at the centre of Bombay City palatial buildings, swimming pools and markets. Everybody knew that he was a smuggler and that he had made money overnight, lakhs and lakhs, crores, by his activities of smuggling. But nothing happened; he was not assessed for income-tax as he should have been done. He was not taken care of by the customs preventive staff and the Central excise staff. He could go on, till ultimately he was arrested recently. My colleague, the hon. Mr. Schamnad, referred to a particular vulnerable place in Kerala, Kasaragode from where both he and I hail, even though for the moment on account of my profession, I happen to be settled in another part of Kerala State. I have long been associated with that particular area even while it was in the South Canara District, in the former Madras Province. Sir, I left Kasaragod for the purpose of my profession and came to

[Shri K. Chandrasekharan]

Ernakulam some time in 1963. And if I go to Kasaragode in 1973, all the persons who were big persons in 1963 are no longer big persons and the big persons of 1973, a few in number, are totally different. Within a period of 10 years, persons have become millionaires. Sir, areas which have been vacant have been built up, palatial buildings have come up. A great service to the people of Kasaragode was a local hospital, a private hospital, and that local hospital, I understand, cost several lakhs of rupees, the like of which the Kerala Government has not been able to build in any locality so far, in any taluq, headquarters or district headquarters. As my hon. friend stated, Ministers walked in, politicians walked in, and they cut ribbons for the purpose of this hospital and for various other purposes connected with the activities of this gentleman.

And, Sir, nothing happened. He amassed money like anything and he spent money like anything through visible spending and no action was taken against him. Another gentleman somewhere hearby in that area itself was the Treasurer of one of the political parties which is not in power in Kerala State. I do not know whether he smuggles or not but that party, with the help of the Government of Kerala, has been arrested for alleged smuggling. He is now in the Trivandrum Central jail. He had activities of various visible nature and yet, Sir, the Customs authorities did not take any action against him till very recently. My question, therefore, is with whom are you going to implement this legislation? Even though I oppose fundamentally the aspect of preventive detention contained in this Bill, as I said, the purpose for which this legislation is sought to be introduced is a necessary purpose and how are you going to achieve your purpose? You cannot achieve your purpose by legislation alone. You have got to achieve it through the officers who are in charge of implementing this, and it is these very same officers who have been receiving pay packets from these smugglers. Incertain areas, for your information, Sir, for the Government information these officers have not even been transferred. These officers who have been there for two or three years continue in the same place and like a chameleon they are changing their colour and loyalties. They have changed their loyalties for the time being, it would appear. But it cannot be permanently. The legislation is going to be permanently on the Statute Book of this country. Is it going to be one more legislation on the Statute Book which will be operated more in its branch, which will be applied more by not taking care of these activities which will be another snag so far as the country's future is concerned.

Sir, I would, therefore, request the Government to see to it that some at least of these officers are caught and shown their due place. It is not as if the people do not know who these officers are. Many of us know, as all of us knew who the smugglers were but we had to keep quiet because there was no law, no effective law. In the same way the people of the locality, the higher-ups among the officials themselves know who has been receiving these pay packets and some of them here made visible signs of their receipt of money in their moveable and immovable properties. It is up to the Government to make very serious investigation into this racket among the officials concerned.

Sir, about ten days back news appeared —You must have seen that too and the Government must have seen that too— in almost all the newspapers, national and regional, simultaneously published on the same date that smuggling activity has recommenced in this country. Who was given inspiration for that news? I understand. Sir, that it is the officials themselves who have given false news. They want to tell the smugglers in the so-called vulnerable areas, just now being defined in this Bill, that we would like you to recommence your activities. If various smugglers in various places have been arrested their relations and friends may now recommence the smuggling activities so that the officers, the politicians, the public men who are all in collusion with each other with the smugglers for achieving their selfish and can carry on their activities once again in the future.

Sir, another aspect which I would like to touch upon would be the question of how exactly we can prevent smuggling in this country. The prevention of smuggling is directly connected with the pro-

duction that we can achieve in this country. If the economic position of this country is low, if the required growth rate is not achieved, if the required production rate is not achieved and if the pattern of production does not result in consumable goods being produced in this country, then it will be difficult to prevent smuggling altogether. We are having a craze for foreign goods so far as certain items are concerned. So far as soaps and cosmetics are concerned, may I say that we lead the world in the way in which we have been able to produce and in the things we have been able to produce and their standards. But there are various other things. Take, for example, the smallest thing that we daily require, the blade. We have not been able to come even to the sub-standard level so far as blades are concerned, and that is the reason why there is so much of smuggling of blades. We are hearing everyday from the Government that more and more licences will be given for the manufacture of watches. We are having the HMT which produces probably the best watch that a country like ours can produce, which can compete with watches of Switzerland and Japan, a watch which is far, far superior to the watches that are being made in Soviet Russia, the United States of America and Canada. But we are not able to produce even one-fiftieth of our requirement. We have got a private sector watch factory in Bombay and there is a private sector watch factory which has just been opened in Bangalore. We want more and more watches to be produced in this country, watches which can be got at reasonable prices, watches which are as good as any foreign watch. If we produce these items, then the craze for foreign goods will not be there and the craze for smuggling certainly will not be there at all because these smuggled goods cannot be sold in this country.

Sir, so far as the craze for foreign goods is concerned, I would accuse the Government, the Customs Department, of encourging the craze for foreign goods in this country. The Customs Department seizes a lot of goods and these seized goods are not being sold outside this country but are being sold to the citizens of this country through the co-operative departmental stores that exist in various places in this country. The co-operative departmental stores, to whom the Customs Department hands over the seized goods, are becoming centres of coaching for craze for foreign goods, and are becoming indirectly centres for smuggling of goods. If a hundred watches can be sold in a co-operative departmental store, another hundred watches without bills, without accounts, can be sold by the accountants and clerks to the consumers when they come to purchase foreign goods on the ground that foreign goods are allowed to be sold, these seized goods are asked to be sold, by the Customs Department of the Government of India. Sir, unless this practice is taken away, the craze for foreign goods will be encouraged and smuggling cannot be checked.

Then, Sir, the question of the Government having taken action in the previous years was referred to by the hon. Minister in his introductory remarks. The Minister referred to the Customs Act, 1962 amendments and the 1969 administrative action. He also mentioned the recommendations of the Law Commission, the 1972 Customs Act amendments and the 1973 enactment of a new Foreign Exchange Regulation Act. As everybody knows, these legislations have been totally ineffective so as to prevent smuggling and I would repeat what I have stated in the beginning itself that prevention of smuggling can be achieved only by prompt administrative action through efficient and honest officers. Smuggling can be prevented only by production and more production of consumer goods in this country. I am stopping. I know that you are nodding your head requesting me to conclude. I would only ask one question to the hon. Minister. This Bill is in replacement of the Ordinance that was issued earler for reasons of urgency, though I am not able to see any urgency. Anyhow the Ordinance is now being replaced by this Bill. For the pruposes of the Ordinance a Presidential order under article 359 (1) was issued. That was issued because it was stated on the floor of the House that many of the High Courts in this country had let free persons who had been arrested and detained under the provisions of MISA Ordinance. In this connection, I would accuse another set of officers who have been responsible for this. What has happened in Delhi? Is it not scandalous that under the very nose of the Central

[Shri K. Chandrasekharan]

Ministers the Advisory Board that was constituted under the MISA Amendment Ordinance let free all the 24 or 25 smugglers in Delhi? That is because in the grounds given to the detenus, instead of 'and's, 'or's were used and the Advisory Board thought that the entire thing had become vague. Why was it that one detenu was released by Kerala High Court? Why is it that several detenus in Bombay and Gujarat were released by the Bombay and Gujarat High Court? Why is it that detenus were released by Allahabad High Court? This is on account of the bad drafting of detention orders. I submit that eihter it is on account of negligence or on account of deliberate omission on the part of officers and even on the part of some of the Ministers. In certain cases it has been done with the knowledge of Ministers. In such cases the Ministers should be held responsible. Therefore, I would request the hon. Minister to look into these aspects as to how large numbers of detention orders have been invalidated on technical grounds by some of the High Courts of the country. Therefore, the Presidential Order under article 359(1) came. I would like to know from the hon. Minister as to whether Government are thinking of issuing another order under article 359(1) in respect of this Act. Nothing is indicated in this legislation and normally nothing can be indicated. I agree. But nothing was mentioned by the hon. Minister in the course of his introductory remarks. The notification that has been issued regarding fundamental rights not being available to move the courts under article 359(1) will no longer be available when this enactment comes to stay. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether he is satisfied that this Bill at least, when it is enacted into law, would be adequately and properly impelmented by the officers and Ministers or whether he would again issue a notification under article 359(1). Thank You.

شری سید نظام الدین (جموں و کشمیر) : جناب عالی—آج کا جو مسودا قانون اس معزز ایوان کے زیر بحث ہے وہ ایک منطقی نتیجہ ہے ان حالات کا جن حالات سے ہم گزر رہے ہین۔ جب ہم سمگلروں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو فارن ایکسچینج ریگولیشنس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں وائلٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں اس کا ایک انتظام کرنے کے لئے گورنمنٹ یہ بل لائی ہے جو اس وقت ایوان کے زیر بحث ہے ۔ میرا خیال تھا کہ جب یہ قانون اس معزز ایوان میں آئے گا تو ضرب مخالف والے شاید مطمئن نہیں ہوں گے کہ زیادہ سخت نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مطالبہ یہی ہوگا کہ قانون کو سخت سے سخت ضرور بنائیں تاکہ وہ لوگ جو اس ملک کی معشیت کو درہم برہم کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ جو معاشی جرائم کے مرتکب ہیں وہ لوگ جو یہاں کے عوام کو نظر انداز کرکے ہمارے ملک کی غریبی کو نظر انداز کرکے صرف اپنا پیٹ پال رہے ہیں جو بڑی بڑی جائیدادیں بنا رہے ہیں ان سے اس طرح سے ڈیل کیا جائے تاکہ وہ جو جائیدادیں بنا رہے ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے اور اس بارے میں بھی ان کو یہ حق نہ ملے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے مسئلہ پر بھی اپوزیشن پارٹیز کے لوگ سیاسی مصلحت کو زیادہ نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے پیش نظر جو تقریریں انہوں نے کی اور جو قراردار اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے یہ کہ :

"That this House disapproves the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974....promulgated by the President on the 17th September, 1974".

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے جو پریزیڈنٹ نے پوملگیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم صرف خالی اس کا عنوان پڑھیں تو وہ یہ ہے۔

"To provide for the preventive detention in certain cases for the purpose of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and/or matters connected therewith".

اب سیدھی سی بات ہے کہ قانون کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اسمگلنگ میں حصہ لیتے ہیں جن کا تعلق سمگلنگ کے ساتھ ہے ان کے ساتھی جو فارن ایکسچینج کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس طرح سے جائیداد بنا رہے ہیں۔ ان کے متعلق یہ قانون بنایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس معزز ادوان میں صرف مخالف کے لوگ دعوی کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو سمگلنگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے کہ انکے ذریعہ سے کانگریس کے لوگوں کو کانگریس پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے لیکن جب ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ لگایا گیا جب ان کو گرفتار کرنے لگے تو پھر دوسرا لاجک سامنے آ گیا کہ آپ اس لئے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں کہ آپ کے بارے کچھ نہ کہہ سکیں۔ پھر انہوں نے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور عدالتوں نے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈس پر ان کو رہا کر دیا کیوں کہ ہمارے قانون کا کچھ سسٹم ایسا ہے کہ جب ٹیکنیکل کوئی بات ہو کسی نے بہت بڑا جرم بھی کیا تو عدالت اس چیز کو دیکھ کر اسے رہا کر دیتی ہے۔ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے لئے کسی شخص کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ رہا ہو جائے۔ چاہے اس نے کیسا ہی بڑا جرم کیا ہو۔

ابھی چندر شیکھرن جی بول رہے تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ٹیکنیکل امبلیکیشنس ہوں گی آپ ایسا قانون بنائیں گے کہ اس کا فائدہ کوئی نہ اٹھا سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جرم جرم میں فرق ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈس پر جیسے پوائنٹ آف لیمیٹیشن پر اگر کسی شخص کا سول مقدمہ خارج ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن دوسری ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ایک شخص سارے ملک کی معیشت کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا قانونی جرم کر رہا ہے۔

یہ جو لوگ اسمگلرس سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو یہ معاشی جرائم کے مرتب ہوتے ہیں اور دوسرے

فارن ایکسچینج ریکیٹیرس ہیں ان کو پکڑ لیا جائے لیکن میں ان کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے حق میں نہیں ہوں کیوں کہ یہ جائیداد جو بنائی ہے حلال کی کمائی سے نہیں بنائی ہے محنت نہیں کی ہے ان کو ضبط کرنا چاہیئے - اس ملک کے باشندوں کو پورا حق ہے اس کو ضبط کرنے کا - میں نہیں سمجھتا قانون کی منشا کب پوری ہوگی- اگر یہ بات کہی جائے کہ صاحب انہوں نے کون کونسے سورسیز سے جائیداد بنائی ہے اور یہ ثبوت دے کر یہ کہیں کہ یہ شخص اسمگلر ہے اور جائیداد اپنی بنائی ہوئی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو ڈیل کرنے کے لئے ایسا بہانہ کافی ہے کہ اس نے اپنی جائیداد پانچ دس ہزار کی بنائی ہے- ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ۱۰ یا ۱۵ سال پہلے جن کے پاس ایک کوڑی کی بھی جائیداد نہیں تھی اور جب انہوں نے فارن ایکسچینج کی چوری اور اسمگلنگ شروع کی تو جائیداد کھڑی کر لی- کوئی بیوی کے نام کسی بچے کے نام روپیہ کر دیا - کسی نے ۱۰ لاکھ روپیئے کی بلڈنگ بنائی اور بنا کر بیوی کے اور بچوں کے نام کر دی - یہ دیکھا جائے جو جائیداد بنائی ہے وہ غیر قانونی جائیداد بنی ہے یا قانونی جائیداد ہے اس بل کی حمایت کرتا ہوں اور میری آشا تھی وہ لوگ جو اس طرف بیٹھے

[شری سید نظام الدین]

سماجی جرائم کے - کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں- اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سخت سے سخت تر ہونا چاہیئے - ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اپوزیشن والوں کے دماغ میں شہری آزادی اور حقوق کی بات کیسے سما گئی- شہری آزادی اور بنیادی حقوق کے بارے میں ان لوگوں کی ہر توجیح اور تشریح سے بہت ہی حیران ہوں- پھر شہری آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک میں کوئی شخص جو کچھ کرنا چاہے اس کو آزادی ہے وہ کرتا جائے - خواہ اس سے دوسرے شہری یا ملک کو کتنا بھی نقصان ہو یہ شہری آزادی میری سمجھ میں نہیں آئی- میں تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم سیاسی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بل کی نکتہ چینی کریں اس بل کی حمایت کریں- دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس قانون کا تعلق ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کا پیشہ کیا ہے اس کا ملک پر کیا اثر پڑتا ہے- میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی طرف سے یہ آواز آنی چاہیئے تھی اس قانون کو سخت بنایا جائے - قانون کو آپ نے نرم بنایا ہے- میں حکومت سے یہ کہوں گا جہاں آپ نے یہ قانون بنایا ہے وہاں یہ قانون بھی بنائیں کہ جتنے اسمگلرس ہیں اور جتنے

نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے بھی ہمارا کام نہیں بنا۔ اس کے بعد کسٹم ایکٹ میں امینڈمینٹ کی گئی اس سے بھی کام نہیں بنا۔ فارن ایکسچینج ریگولیشن میں امینڈمینٹ کرنے سے بھی کام نہیں بنا۔ ایسی حالت میں کیا ہم ان سب جرموں کو دیکھتے رہتے کسی طرح سے یہ صورت نکلی کہ میسا کے اندر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو ان لوگوں نے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دئیے ۔ عدالتیں میرٹ آف دی کیس میں نہیں گئیں عدالتوں سے ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق عدالتیں کام کرتی ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالتیں میرٹ آف دی کیس میں نہیں گئیں انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈس پر لوگوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ۔ اب اگر حکومت یہ چاہتی ہے کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اور یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ کوئی شخص حقیقت میں اسمگلر ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے۔ ایسی حالت میں سیول لیرٹیز اینڈ فنڈ امیٹل رائٹس کا سوال کہاں سے آتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا سوال تو آنا چاہیئے عام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے اور ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لئے جو معصوم اور بے گناہ ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ اگر ہوئے ہیں وہ بھی اس بل کی حمایت کرینگے کیوں کہ وہ اسمگلرس کے بارے میں اس ایوان میں جتنی باتیں کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس بل کی حمایت کرینگے ایسی مجھے آشا تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔

مہودے۔ میں حکومت کو مبارک باد دوں گا کیوں کہ حکومت یہ بل لائی ہے ۔ لیکن ان کا ریزولیشن جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی ناامیدی ہوئی۔ ریزولیشن میں تو بالکل اس قانون کو سرے سے ہی ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے ۔ میں نے یہ بل جو ہاؤس میں رکھا گیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ اس میں کسی سیاسی انسان کو گرفتار کرنے یا اس کے خلاف میسا کا استعمال کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کھینچا تانی کر کے اس طرح کا نتیجہ کیسے نکالا گیا۔ اس قانون کا منشا بالکل صاف ہے اور واضح ہے جیسا منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بجا طور پر فرمایا ہے کہ یہ موجودہ بل سرکار کی آج تک اسمگلروں کے خلاف کی گئی کاروائیوں کا نتیجہ ہے اور ان کے خلاف جو کاروائی کی گئی اس کے نتیجہ کے روپ میں یہ سامنے آیا ہے ۔ ۱۹۶۲ میں ایک قانون پاس ہوا تو ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کرنا چاہی اور

[شری سید نظام الدین]

سیاسی طور پر اس کا استعمال کیا گیا تو اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا اور ہم لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے۔ یہ کہنا کہ اسمگروں کو عدالتوں کے دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹائے دیتے اور فنڈامینٹل رائٹس کو اس طرغ سے کیوں سسپنڈ کر رہے ہو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ریزولیشن کے بجائے اس بل میں امینڈمینٹ یا ترمیم کرنے کی بات ہوتی تو میں اس کو سمجھ سکتا تھا یا کوئی لفظ اس طرغ کا ہے کہ اس کی وجہہ سے کوئی ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی تھی میں یہ بات بھی سمجھ سکتا تھا کلیہ اس ایکٹ میں کوئی بات ورنگ ہے یا کوئی قانونی بات کلیر نہیں ہے تو اس کے امینڈمینٹ کرنے کی بات ہوتی تو وہ سمجھ میں آ سکتی تھی لیکن یہ ریزولیشن تو سرے سے ہی چاہتا ہے کہ اس قانون کو بالکل ختم کر دو اس کا کوئی کارن یہ ریزولیشن نہیں بتاتا ہے۔ راشٹرپتی کا آرڈیننس ملک کے اندر ان حالات کے اندر نکالا گیا جبکہ بدترین جرائم پیشہ لوگ۔ اسمگر ایسی صورت پیدا کر رہے تھے کہ اس ملک کی اکانامی کو ہی اس سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آرڈیننس تب نکالا گیا جب کہ پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر ہی یہ قانون لایا گیا تھا تو جناب والا ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی پوری پوری حمایت کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون کو سخت سے سخت تر بنایا جائے تاکہ ان اسمگروں کی جائیدادیں ضبط کی جا سکیں اور آخیر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

†[श्री सैयद निज़ामुद्दीन (जम्मू और काश्मीर) : जनाब आली, आज का जो मसौदा कानून इस मोअज़िज ऐवान के जेरेबहस है वह एक मनतकी नतीजा है, उन हालात का जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं। जब हम स्मगलरों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ, जो फारन एक्सचेंज रेज़ोल्यूशन की मखालफत करते हैं और उन्हें वायलेट करते हैं, उनके साथ हम कैसे डील करें, इसका एक इन्तज़ाम करने के लिए गवर्नमैंट यह बिल लाई है जो इस वक्त ऐवान के जेरेबहस है। मेरा ख्याल था कि जब यह कानून इस मोअजज़ ऐवान में आयगा तो शायद हज़ब मुखालिफ वाले मुतमय्यन नहीं होंगे कि यह ज्यादा सख्त नही है। और मेरा ख्याल था कि मुतालबा यह होगा कि कानून को सख्त से सख्त ज़रूर बनाइये ताकि वे लोग जो मुल्क की माशियत को दरहम बरहम करने मे लगे हुये हैं—

जो मआशी जरायम के मरतकब हैं, वे लोग जो यहां के ऐवान को नज़र-अन्दाज करके, हमारे मुल्क की गरीबी को नज़र-अन्दाज़ करके सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जायदादें बना रहे हैं, उनसे इस तरह से डील किया जाये ताकि वह जो जायदादें बना रहे हैं उनको भी

†[ ] Hindi transliteration.

ज़ब्त किया जाये और इस बारे मे भी उनको यह हक न मिले कि वे अदालत का दरवाज़ा खटखटायें। लेकिन बद-किस्मती की बात है कि ऐसे मसले पर भी अपोजीशन पार्टीज के लोग सियासी मसलिहत को ज्यादा नज़र में रखते हैं और इसके पेशे-नज़र तकरीर इन्होंने की और जो करारदाद अपोजीशन की तरफ से आया है। यह कि :

"That this House dispproves the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance 1974. ..promulgated by the President on the 17th September, 1974".

ये लोग चाहते हैं कि इस कानून को खत्म कर दिया जाये जो प्रेसीडेण्ट से प्रोमल्गेट किया हुआ है। अगर हम खाली इसका अनुवान पढ़ें तो वह है --

"To provide for the preventive detention in certain cases for the purpose of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and/or matters connected therewith."

अब सीधी सी बात है कि कानून की मनशा यह है कि इन लोगों के साथ जो स्मगलिंग में हिस्सा लेते हैं, जिनका ताल्लुक स्मगलिंग के साथ है, उनके साथी जो फारन एक्सचेज के कानून की खिलाफ-वर्ज़ी करते हैं और इस तरह से जायदाद बना रहे हैं, उनके मुत्तल्लिक यह कानून बनाया जाये। मैं नही समझता कि अपोजीशन के लोग क्यों चाहते हैं कि यह कानून नही बनना चाहिये। हमने देखा कि इस मुअज्ज एवान मे हज़ब मुखालिफ के लोग दावा करते थे कि ऐसे लोगो के साथ जो स्मगलिंग के साथ ताल्लुक रखते है--इसलिए हाथ नही लगाया जा रहा है कि उनके ज़रिये से काग्रेस के लोगो को, काग्रेस पार्टी को, पैसा मिल रहा है, लेकिन जब उन लोगों के साथ हाथ लगाया गया, जब उन को गिरफ्तार करने लगे तो फिर दूसरा लाजिक सामने आ गया कि आप इसलिये लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं कि आप के बारे कुछ न कह सकें। फिर उन्होंने अदालतों के दरवाज़े खटखटाये और अदालतों ने कुछ टेक्नीकल ग्राउड्स पर उनको रिहा कर दिया। क्योंकि हमारे कानून का कुछ सिस्टम एसा है कि जब टेक्नीकली कोई बात हो, किसी ने बहुत बड़ा जुर्म भी किया, तो अदालत इस चीज़ को देखकर उसे रिहा कर देती है। किसी टेक्नीकल ग्राऊंड के लिये किसी शख्स को यह हक नहीं मिलना चाहिये कि वह रिहा हो जाये--चाहे उसने कैसा ही बड़ा जुर्म किया हो।

अभी चन्द्रशेखरन जी बोल रहे थे कि क्या आप समझते हैं कि जहां जहां भी टेक्नीकल इम्पलीकेशन्स होंगी आप ऐसा कानून बनायेंगे कि उसका फायदा कोई न उठा सके। लेकिन मैं समझता हूं कि जुर्म जुर्म में फर्क होता है। टेक्नीकल ग्राउंड्स पर, जैसे प्वाइंट आफ लिमिटेशन पर, अगर किसी शख्स का सिविल मुकदमा खारिज होता है तो वह अलग बात है। लेकिन दूसरी टेक्नीकल डिफिकल्टी यह है कि एक शख्स सारे मुल्क की माशियत को दरहम बरहम करना चाहता है--बहुत बड़ा कानूनी जुर्म कर रहा है।

ये जो लोग स्मगलर्स से ताल्लुक रखते हैं, एक तो यह मुआशी जरायम के मरतकब होते हैं और दूसरे समाजी जरायम के। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो त्रिमिनल टाईप के होते हैं। इस सूरत में मैं यह समझता हूं कि कानून सख्त से सख्त तर होना चाहिये। ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए यह मेरी समझ मे नहीं आया--अपोजीशन वालों के दिमाग में शहरी आजादी और हकूक की बात कैसे समा गई। शहरी आज़ादी और बुनियादी हकूक के बारे में इन लोगों की इस तौजीह और तशरीह से बहुत ही

[श्री सैयद निज़ामुद्दीन]

हैरान हूं। फिर शहरी आज़ादी का मतलब यह हुआ कि इस मुल्क में जो कुछ करना चाहे, उसको आज़ादी है, वह करता जाये, ख्वाह इससे दूसरे शहरी या मुल्क को कितना भी नुकसान हो, यह शहरी आज़ादी मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो यह कहूंगा कि बजाये इसके कि हम सियासी मकासद को पेशेनज़र रखते हुए इस बिल की नुकताचीनी करे, इस बिल की हिमायत करें। देखना यह है कि जिन लोगों के साथ इस कानून का ताल्लुक है वे किस किस्म के लोग हैं, उनका पेशा क्या है, उसका मुल्क पर क्या असर पड़ता है। मैं समझता हूं अपोज़ीशन की तरफ से यह आवाज आनी चाहिए थी---इस कानून को सख्त बनाया जाये, कानून को आपने नर्म बनाया है। मैं हकूमत से यह कहूंगा, जहां आप ने यह कानून बनाया है वहां यह कानून भी बनाये कि जितने स्मगलर्स हैं और जितने फारन एक्सचेज रैकटीयर्स है उनको पकड़ लिया जाये। लेकिन मैं उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के हक में नहीं हू, क्योंकि यह जायदाद जो बनाई है हलाल की कमाई से नही बनाई है, मेहनत नहीं की है, उसको जब्त करना चाहिये। इस मुल्क के बाशिन्दों को पूरा हक है उसको जब्त करने का। मैं नहीं समझता कानून की मन्शा कब पूरी होगी। अगर यह बात कही जाये तो साहिब उन्होंने कौन कौन से सोरसिज़ से जायदाद बनाई है और सबूत देकर यह कहे कि यह शख्स स्मगलर है और जायदाद अपनी बनाए हुए है तो क्या आप यह समझते हैं कि उस शख्स को डील करने के लिये ऐसा बहाना काफी है कि उसने अपनी जायदाद पाच दस हज़ार की बनाई है। हमने जिन लोगों को देखा, 10 या 15 साल पहले जिनके पास एक कौड़ी की भी जायदाद नही थी और जब उन्होने फारेन एक्सचेंज की चोरी और स्मगलिंग शुरू की तो जायदाद खड़ी कर ली। कोई बीवी के नाम, किसी बच्चे के नाम रुपया कर दिया। किसी ने 10 लाख रुपये की बिल्डिंग बनाई और बनाकर बीवी और बच्चों के नाम करदी। यह देखा जाये जो जायदाद बनाई है वह गैरकानूनी जायदाद बनी है या कानूनी जायदाद है इस बिल की हिमायत करता हूं और मेरी आशा थी वह लोग जो उस तरफ बठे हुये हैं, वे भी इस बिल की हिमायत करेंगे क्योंकि वे स्मगलर्स के बारे में इस ऐवान में जितनी बातें करते हैं उसको देखते हुए इस बिल की हिमायत करेंगे ऐसा मुझे आशा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महोदय, मैं हकूमत को मुबारकबाद दूगा क्योंकि हकूमत यह बिल लाई है। लेकिन उनका रेजोल्यूशन जब मैने देखा तो मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई। रेजोल्यूशन में तो बिल्कुल इस कानून को सिरे से ही खत्म करने की बात कही गई है। मैंने यह बिल जो हाउस में रखा गया है उसको खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। इसमें किसी सियासी इन्सान को गिरफ्तार करने या उसके खिलाफ मीसा का इस्तेमाल करने का सवाल कहां पैदा होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती---खींचातानी करके इस तरह का नतीजा कैसे निकाला गया। इस कानून की मन्शा बिल्कुल साफ है और वाज़िआ है जैसा मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बजा तौर पर फरमाया है कि यह मौजूदा एमडमेंट सरकार की आजतक स्मगलरों के खिलाफ की गई कार्यवाहियों का नतीजा है और उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई, उसके नतीजे के रूप में यह सामने आया है। 1962 में एक कानून पास हुआ तो इन लोगों ने उसकी खिलाफवरज़ी करनी चाही और नतीजा यह हुआ कि इससे भी हमारा काम नही बना। इसके बाद कस्टम एक्ट मे एमेंडमेंट की

गई, उसमें भी काम नहीं बना। फारन एक्सचेंज रेगूलेशन में एमेंडमेंट करने में भी काम नहीं बना। ऐसी हालत में क्या हम इन सब जुर्मों को देखते रहते। किसी तरह से यह सूरत निकली कि मीसा के अन्दर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन लोगों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिये।

अदालतें मैरिट आफ दी केस में नहीं गई---अदालतों से हमारा कोई शिकवा नहीं है। हमारे मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक अदालतें काम करती हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि अदालतें मैरिट आफ दी केस में नहीं गई। इन्होंने टेक्नीकल ग्राउंड्स पर लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया। अगर अब हकूमत यह चाहती है किसी शख्स ने कोई जुर्म किया हुआ है और यह बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि कोई शख्स हकीकत में स्मगलर है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। ऐसी हालत में सिविल लिबर्टीज एण्ड फंडामेंटल राइट्स का सवाल कहां से आता है। फन्डामेंटल राइट्स का सवाल तो आना चाहिये, आम लोगों के हकूकों की हिफाजत करने के लिए और उन लोगों की हिफाजत करने के लिये जो मासूम और बेगुनाह हैं या जिन्होंने कोई जुर्म न किया हो अगर सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया तो इसकी कोई भी हिमायत नहीं करता और हम लोग भी इसकी मुखालफत करते। यह कहना कि स्मगलरों को अदालतों के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाने देते और फन्डामेंटल राइट्स को इस तरह से क्यों सस्पेंड कर रहे हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस रेजोलूशन के बजाये इस बिल में एमेन्डमेन्ट या तरमीम करने की बात होती तो मैं इसको समझ सकता था या कोई लफ्ज इस तरह का है कि उसकी वजह से कोई डिफिकल्टी आ सकती है तो यह बात भी समझ में आ सकती थी ---मैं यह बात भी समझ सकता था कि इस एक्ट में कोई बात वेग है या कोई कानूनी क्लियर नहीं है तो उसके एमेंडमेंट करने की बात होती तो वह समझ में आ सकती थी लेकिन यह रेजोल्यूशन तो सिरे से ही चाहता है कि इस कानून को बिल्कुल खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो इसका कोई कारण यह रेजोल्यूशन नहीं बताता है। राष्ट्रपति का आर्डीनेंस मुल्क के अन्दर उन हालात के अन्दर निकाला गया जबकि बदतरीन जरायम पेशा लोग---स्मगलर ऐसी---सूरत पैदा कर रहे थे कि इस मुल्क की अकानमी को ही उनसे खतरा पैदा हो गया था। यह आर्डीनेंस तब निकाला गया जब कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। इन हालात को देख कर ही यह कानून लाया गया था तो जनाबवाला इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पूर्ण हिमायत करता हूं और साथ ही यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस कानून को सख्त से सख्त तर बनाया जाये ताकि इन स्मगलरों की जायदादें जब्त की जा सकें और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।]

5 P.M.

DR. NAGAPPA ALVA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I speak on the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill, 1974 Sir, I feel like starting my speech with a prayer :

"Oh God, lead us from darkness to light;
From untruth to truth;
From violence to non-violence;
From indecency to deceny; and
From fear, doubt and timidity to courage, tranquility and peace."

Sir, the Bill is for preventive dentention of certain persons for violation of foreign exchange regula[illegible]dulging in smuggling activities. [illegible], the right of equa-

[Dr. Nagappa Alva]

lity before the law is taken out. Sir, the question today is whether we are having any respect for democracy or democratic values and whether we are trying to build up democracy, respecting the judiciary. But, as days move on, the country becomes a country by ordinances. And that too, ordinances and even Acts like this try to circumvent the rights of the individuals. At the same time, it is a wellknown fact that these Acts are not faithfully and truthfully implemented. Here again, taking recourse to the MISA is certainly an insult to our intelligence and culture. Certainly, with the laws of the land available now, we can bring under control some of these evil forces and evil activities if they have got the sincerity. Sir, smuggling activity, clandestinely organised, has become a huge network involving crores and crores of money and lakhs and lakhs of people. But the treacherous acts of the smugglers, blackmarketeers, hoarders and adulterators go on affecting the people in this country, and five per cent of the population go on merry-making at the cost of the masses, exploiting the miseries of the people and their helplessness. It is a sin unpardonable indeed. Our foreign exchange reserve is dwindling, our debt burden is increasing, our deficit financing is going on merrily, and tax arrears are increasing. The result is inflation by high-jumps. Black money circulation is increasing. And parallel economy is paralysing the national economy. Actually, Sir, the economy is in near ruins. Hoarders, tax-evaders, adulterators, smugglers and anti-social and anti-national elements are thriving so often under the patronage of the rulers and the privileged politicians, and the corrupt bureaucrats and corrupt politicians. Is there any economic emergency today ? If there is economic emergency, that has not been realized by the Government. And instead of fiscal discipline, there is fiscal indiscipline. The tax arrears are over Rs. 700 crores. And so many have not been taxed and they go tax-free. According to yesterday's newspapers, the assets seized by the Income-tax authorities in 1974 between April and September are : Rs. 119 crores in Delhi; Rs. 117 crores in Bombay; Rs. 65 crores in Amritsar, and so on. This shows Delhi stands first. Delhi stands first because it is the source and fountain-head of corruption. I only appeal to our leader that in all sincerity let them set an examples to others, because in today's politics it is election, it is collection, it is defection so that our leaders may continue in power till the end of life if possible. If these are the things by which we run politics and rule in this country, by associating ourselves as partners in these economic crimes, then the future of the country will be gloomy. The question before us today is whether there is respect for the judiciary, whether there is respect for democratic values. Here, Sir, I am seeing the elementary principle of consulting the Opposition so often is not there. And here linking up this order with emergency and the maintenance of internal security proves the Government's insincerity and weakness—weakness because of their own faults, wrong policies and not having the courage to implement the Acts that are already there. Economic emergency is certainly not there, but there is economic chaos and near-ruin because of the wrong policies of the Government and encouraging anti-social and anti-national elements for selfish ends and political gains. There seems to be no concern at all for democratic norms, niceties or decencies. Sir, we must survive as a virile nation with respect for judiciary and democratic values and enternal values of life. Sir, it is necessary—in fact, it is dharma—to correct oneself and take to the right path. We have to learn lessons from history, we have to learn lessons from other countries. The lesson we have to learn today is from America. Nixon's fall is not an ordinary fall; it is a living death for him but democracy there has emerged stronger.

Sir, here I am suggesting that it is high time that the leaders of this country prove to the people that they are really sincere. It is necessary, whoever they are, whichever positions they occupy, they must be detected, and if they are found guilty, they must be punished. Sir, my suggestion is, let a commit of the Parliament go into the question of amassing of wealth by top politicians, top bureaucrats and anti-social elements during the last 10 years. It is not difficult at all A report of this kind is possible within six months. We are not lacking in any figures and facts, but it is a question of having the political will

do that. Sir, it is necessary to bring the smugglers for trial in courts.

This in a democracy is a must. If only they are tried in courts, many things can be brought to light. If there is protection given to them by some, whoever they are, they should be exposed and their anti-social and anti-national activities must be brought to light. It is a well-known fact that the officers in the Customs and Revenue Departments are also generally courrupt. It is also known to all that politicians are involved in this. Minister Shri Ganesh said on the floor of the House very clearly that there is patronage by some of the politicians. Therefore, it is clear that politicians and top officers are involved. If that is so, is it not the duty of the Government to find out who they are and is it not necessary to find out their smuggling and related activities ? It is not merely a question of keeping them in jail. Every time Government should find out who is who and whom to punish, so that we can build a democratic socialism of plenty. Now we are distributing actually poverty and inequality. Frustration is increasing. And as my worthy colleague shri Chandrasekharan made it clear we have forgotten all about production and greater production. Equitable distributions is the need of the hour. There lies the solution.

Finally, I feel that a comprehensive legislation is necessary by which alone we can put down all these anti-social, anti-national elements such as tax evaders, hoarders, adulterators, profiteers, black-marketeers and sumugglers who are running this parallel economy in this country. It is not only the question of having a comprehensive legislation, but it is also a question of enforcing it in such a way that we will be able to detect those people try them in courts of law. The most important thing is the question of prevention. Prevention of adulteration or prevention even in the matter of healh is very important. Similarly preventive measures to stop smuggling are more important.

As we see today, power is being concentrated. There is no decentralisation of power which Mahatma Gandhi had advocated. Today there is concentration of power and that power is being used to crush, to curb and to weaken Opposition. God is giving you the warning. That warning is to the leaders of political parties and in particular to the leaders of the ruling Party. That warning is through Jayaprakash Naryan. The warning is : Fight him not. But fight the dangers and devils created by the Government and the rulers. I trust our leaders will keep this warning in mind. May wisdom dawn on the leaders to be truthful in implementing the Act that is before us and all the other Acts that are there to bring sanity and sanctity in public life. Thank you, Sir.

श्री कल्प नाथ (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाये गये इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मुझे दुख है कि विरोधी पार्टियां इस कानून का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हैं । आज विरोधी पार्टियों की वही हालत है कि एक समय में जब राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स खत्म हो रहे थे और लोक सभा में राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्स खत्म करने का विधेयक पारित हो चुका था और जब वह बिल राज्य सभा में लाया गया तो एक वोट से वह बिल यहां पारित नहीं हो सका और परिणामस्वरूप देश की प्रधान मंत्री को देश की जनता के बीच में उस कानून के फैसले के लिए जाना पड़ा और उस का क्या परिणाम हुआ इस को विरोधी पार्टियां अच्छी तरह से जानती हैं । आज देश की प्रधान मंत्री ने पिछले सत्र के बाद जब मुल्क के बड़े-बड़े तस्कर व्यापारियों को—हाजी मस्तान को, ढोलकिया को, वखिया को गिरफ्तार किया तो सारे देश की सड़कों पर हरिजनों में, गिरिजनों में, पिछड़े लोगों में, गरीब लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने समझा कि हमारे देश की प्रधान मंत्री ने बड़े-बड़े बदमाशों को जेल में बंद किया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कि उन को जेल में बन्द करना ही काफी नहीं है, उन तस्कर व्यापारियों को और मुल्क का अरबों खरबों रुपया चोरी करने वालों को जेल में बन्द करना ही जरूरी नहीं है, केवल उन की संपत्ति ही जब्त करना जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को सड़कों

[श्री कल्प नाथ]

पर कोड़ों से पिटवाना चाहिए और इस के लिए इस देश की संसद् को एक कानून बनाना चाहिए । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब देश की प्रधान मंत्री इस देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाती है तो विरोधी दल के लोग उस के खिलाफ जनतंत्र का नारा देते हैं और जब हम लोग जनतंत्र के लिए कोई काम शुरू करते हैं तो यह लोग अर्थ व्यवस्था को ठीक करने की बात करने लगते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के तस्कर व्यापारी नाराज हैं इसलिए कि आज तस्करी पर कड़ा नियंत्रण किया गया है । आज मुल्क के जमींदार नाराज हैं इस लिए कि कांग्रेस ने उन की जमींदारी तोड़ी है, आज यहां के राजा महाराजा नाराज हैं इस लिए कि कांग्रेस ने उन की प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया है । आज मुल्क के चोर बाजारी करने वाले, तस्कर व्यापारी नाराज हैं और इस मुल्क के जितने निहित स्वार्थ वाले प्रतिक्रियावादी हैं, जो रजत पसंद हैं, जो मुल्क की आजादी के दुश्मन है, वह सारी ताकतें एक तरफ मोर्चा बना कर खड़ी हैं और क्या आप नहीं जानते हैं कि जब विदेशी हमला होगा तो यही लोग कहेंगे कि हम उन का मुकाबला करेंगे और जब देश में क्राइसिस आयेगा तो कहेंगे कि हमें एक होना चाहिए लेकिन आप जानते है कि आज हिन्दुस्तान एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यह केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है, दुनियां के सभी जो छोटे मुल्क हैं, जो अर्ध विकसित देश है, जो अन-डवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब में इस तरह का एक क्राइसिस फैल रहा है और सारी दुनिया में एक आर्थिक संकट फैला हुआ है लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती है कि जब कोई गिरफ्तार किया गया तो उस के खिलाफ ही आवाज उठायी गयी । जब समाजवाद के परिवर्तन का स्टीम रोलर चलेगा तो कुछ बिना गलती किये हुए लोग भी उस के नीचे दब सकते हैं, पिस सकते हैं और मारे जा सकते है । आज महान बात यह हो रही है कि इस मुल्क के बड़े बड़े तस्कर व्यापारी, भ्रष्ट नौकरशाह, बड़े बेईमान लोगों को जेलों में ढकेला जा रहा है और ऐसा करना आवश्यक हो गया है हिन्दुस्तान की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क की विरोधी पार्टियों का दृष्टिकोण नकारात्मक हो गया है । सारे देश में भ्रष्टाचार की बातें की जा रही हैं । पूरे देश में एक हवा फैलायी जा रही है कि सारे देश की नस नस में, हड्डी, हड्डी में भ्रष्टाचार बसा हुआ है और इस का मतलब है कि सारे देश की हवा में भ्रष्टाचार है और ऐसी बातें करके वे आज हिन्दुस्तान में जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विरोधी पार्टियों के लोग बतायेंगे कि क्या बीजू पटनायक से बड़ा और कोई भ्रष्टाचारी इस मुल्क में कोई और है ? उस को मीसा में बन्द होना चाहिए या नहीं ? चिमन भाई पटेल को भी मीसा में बन्द होना चाहिए या नहीं ? इस मुल्क के भ्रष्टाचारी लोगों को मीसा में बन्द होना चाहिए या नहीं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.B. RAJU) : I cannot restrain myself from observing that the mover of the Resolution is not present here nor any one who appended their names to the Resolution is present here. As the Opposition wants the Ministers to be present, when somebody moves a resolution he shoud also be present to hear the debate.

श्री कल्प नाथ : आज हमारे देश में 600, 800 करोड़ रुपये फारन ऐक्सचेंज के चोरी में जा रहे हैं । मैं देश के प्रधान मंत्री को वधाई देना चाहता हूं कि इस मुल्क में वह एक क्रान्ति के प्रतीक के रूप में इस मुल्क में जो बड़े-बड़े परिवर्तन के काम कर रहीं हैं । उनसे हमारा निवेदन है कि अगर इस मुल्क की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना

है तो जो करों की चोरी होती है, जो वैल्थ टैक्स की चोरी होती है, जो इन्कम टैक्स की चोरी होती है, सेल्स टैक्स की चोरी होती है, जो फारेन ऐक्सचेंज की चोरी होती है, जो स्मगलिंग के रैकिटियर्स हैं उनके माध्यम से ही हमारे देश में 1200 करोड़ रुपये से ले कर 1600 करोड़ रुपये तक की चोरी होती है, उनके खिलाफ ठीक ढंग से मीसा का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे मुल्क में वैल्थ टैक्स का सही माने में पैसा मिलने लग जाए, इन्कम टैक्स का पैसा मिलने लग जाए और हमारे मुल्क में जो तस्कर व्यापार है वह बन्द हो जाए, स्मगलिंग बन्द हो जाए तो 1200 से 1600 करोड़ रुपये का कैपिटल फारमेशन होगा जिसके माध्यम से हम इस मुल्क का औद्योगीकरण एव कृषिकरण कर सकते हैं ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि विरोधी लोग इस देश में एक नकारात्मक, निगेटिव ऐटीट्यूड ले कर हर बात को करते है । सारे संसद् के अन्दर 15 दिन से लगातार सी० बी० आई० की रिपोर्ट पर बहस हो रही है । देश की जनता का रिश्ता है रोटी से, कपड़े से, दवा से, मकान से, शिक्षा से । लेकिन इस मुल्क में नकारात्मक तरीके की चीजों पर बहस लगातार होती है । इस ओर इन विरोधी पार्टियों की दिलचस्पी है । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की, इस देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करना है तो मीसा के कानून को पास करना चाहिए । मेरा सरकार के ऊपर आरोप है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस के अन्दर एक कानून है । मैं इसलिए रूस का उदाहरण देना चाहता हूं कि रूस मे कोई काम होता है तो मिनिस्टर की जिमेदारी होती है कि फलां फलां चीज आपको करनी है । अगर समय के अन्दर वह हो गया तो ठीक है, जिन लोगों ने उस कार्य को समय पर नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही होती है । मेरा सरकार के ऊपर आरोप है कि मीसा कानून के अन्तर्गत जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तस्कर हैं इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया है । मेरा निवेदन है कि हाजी मस्तान, बखिया या 500 ऐसे तस्कर व्यापारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है । लेकिन हमारे मुल्क में 2500 तस्कर व्यापारी हैं, दो हजार जो हैं वह जेलों में बन्द नहीं किये गये । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 500 के अलावा दो हजार तस्कर व्यापारियों को जेलों मे डालना चाहिए ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी लोग मीसा की बात करते हैं । ब्लैक मार्किटियर, चोर बाजारी करने वाले, जखीरे बाजी करने वाले मुल्क में कौन कौन लोग है । बहुत पार्टियां हैं जो कि सरकार को काम नहीं करने देती हैं इन जखीरेबाजों के खिलाफ । सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया ताकि गरीब लोगों तक अनाज पहुंच सके तो जो अनाज के व्यापारी थे, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले थे, जनता के खून को चूसते थे, वह विरोधी पार्टियां जनतंत्र का नारा लगाने लगी हैं । जो मुल्क में चोरी कराते हैं, इन्कम टैक्स चोरी करते है, वैल्थ टैक्स चोरी करते है वे एक खास विरोधी पार्टी, प्रतिक्रियावादी पार्टी के साथ हैं । आज इस मुल्क का जमींदार आपसे नाराज है, प्रधान मंत्री से नाराज है क्योंकि इस देश में जमींदारी खत्म की गई, राजे महाराजे नाराज हैं क्योंकि उनके प्रिवीपर्स खत्म किए, इस देश के तस्कर व्यापारी नाराज है, इसलिए कि सरकार उनके ऊपर बंदिश लगाना चाहती है, इस देश के जखीरेबाज, चोरबाजारी करने वाले और सारे लोग राजनीतिज्ञ भी नाराज है इसलिए कि वह सत्ता से हटा दिए गए हैं । इस मुल्क से न केवल जनतंत्र खत्म कर दें बल्कि अर्थ-व्यवस्था से सेल्फ रिलायंस की जो अवस्था है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनामी की जो अवस्था है आज उस को लाने की आवश्यकता है । बेसिक इंडस्ट्री एक नई समाजवादी समाज की रचना है । इस को हमें कायम रखना है । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार

[श्री कल्प नाथ]

इस आर्डिनेंस पर सख्ती से काम करे । एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में नम्बर दो के राजा हैं, पहले नम्बर एक के जो राजा होते थे इस देश में वह अंग्रेज होते थे, उस से पहले मुगल होते थे । नम्बर दो के राजा इस मुल्क के नौकरशाही हैं और यह नौकरशाह देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं । हमें इसे ठीक ढंग से चलाना है जनता के द्वारा, जनता के लिए काम हो और इस काम के लिए पैट्रयोटिक ओरियेन्टेड ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करना होगा और जिसका आधार होगा जन-कल्याण, जिसका आधार होगा मुल्क की सेवा, जिसका आधार मुल्क का काम करना होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े-बड़े तस्कर व्यापारियों को बड़े-बड़े इस मुल्क के राजनीतिज्ञों द्वारा शह मिल रही है । उन बेइमान राजनीतिज्ञों से, बेइमान सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से अपने आप को फुल-फिल किया है इसलिए इस देश के अर्थ-तंत्र को, इस मुल्क के जनतंत्र को जितना जबर्दस्त खतरा इस मुल्क के बेइमान नेताओं से है और इस मुल्क के बेइमान कर्मचारियों से है मेरा उतना शायद किसी से नहीं । मेरा कहना है कि बेइमान नेताओ और बेइमान व्यापारियों को मीसा के अन्तर्गत पकड़कर जेलों में बंद करना चाहिए । न केवल उनकी सम्पत्ति को अधिग्रहण करना चाहिए, न केवल पकड़ा ही जाए बल्कि उनको कोड़े से पीट कर सजा मिलनी चाहिय ।

अध्यक्ष जी, पिछली बार जब हाजी मस्तान गिरफ्तार हुए तो लखनऊ के एक चौराहे पर मैं खड़ा था । उस समय दो सौ-तीन सौ रिक्शा वाले खड़े थे और वह देख रहे थे एक व्यापारी को चूना और कालिख पोत कर हजारीगंज के रास्ते से ले जाया जा रहा था । रिक्शा वाले कह रहे थे इंदिरा गांधी ने अच्छे काम करे हैं । ये लोग हम को राशन नहीं मिलने देते थे अच्छा किया उनको पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है । जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते है वे खुश है इस तरह के बेइमानी के खिलाफ ऐक्शन लेने से । मैं विरोधी पक्ष के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि भगवान करे वे मीसा का विरोध करते रहें ? ईश्वर करे हम जो अच्छे कदम उठाएं उसका वे विरोध करते रहें जो जिस प्रकार से 71 के चुनावों में देश की मेहनतकश जनता ने प्रति-क्रियावादी ताकतों को चारों खानें चित्त कर दिया था ऐसे ही आने वाले इलैक्शन में हो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.B. RAJU) : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 11th December, 1974.

M783RSS 74—595—21-4-75—GIPF.